खण्ड–489, अंक–2
शुक्रवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1936
(20 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
-उपस्थिति सदस्य	1-6
-प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सर्वप्रथम चर्चा की मांग	7-12
-प्रश्नोत्तर	12-53
-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की सूचना	53-54
-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण... ...	54-77
-नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77-78
-प्रदेश में कार्यरत प्रान्तीय रक्षक दल (पी0डी0आर0) जवानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
-जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
-जनपद सोनभद्र में सोन लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत बन्द पड़े 8 पम्पों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79-80
-जनपद आगरा की लायर्स कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
-जनपद बुलन्दशहर की सरकारी जमीन गाटा संख्या 637 रकबा 2530 वर्ग मी0 पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
-जनपद इलाहाबाद की कतिपय विधान सभाओं में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	81
-जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र करवल नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में छोटी गंडक नवलपुर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
-जनपद महराजगंज के लगभग 50 लोगों के इराक में फंसे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत सोनाली नदी पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82-83
-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड खेरिया मोड़ से नरीपुरा धर्नाली से मलपुरा तक पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83

विषय	पृष्ठ-संख्या
-जनपद चित्रकूट में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
-जनपद मऊ में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
-जिला पंचायत फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
-जनपद कुशीनगर में कतिपय घाटों के किनारे रहने वाले विस्थापित परिवारों के पुनर्वासित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
-भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार .....(सदन के पटल पर रखा गया)	85
-भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार .....(सदन के पटल पर रखा गया)	86
-भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	86
-संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-611/ग्यारह-9(1)/2008, उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(111)-2014, दिनांक 11 जून, 2014 .....(सदन के पटल पर रखी गई) ...	86
-परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या-249/30-4-2014-8(19)/2013, दिनांक 28 फरवरी, 2014 .....(सदन के पटल पर रखी गई) ...	86
-उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति वर्ष (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन .....(प्रस्तुत किया गया)	87
-उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति वर्ष (2013-2014) का अष्टम प्रतिवेदन .....(प्रस्तुत किया गया)	87
-उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति वर्ष (2013-2014) का नवम प्रतिवेदन .....(प्रस्तुत किया गया)	87
-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-नसीरपुर शेख मार्ग पर स्थित नसीरपुर शेख के आबादी वाले भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद एहसान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थिति की गई)	87

विषय	पृष्ठ-संख्या
-जनपद बिजनौर के चाँदपुर क्षेत्र में जूनियर हाईस्कूल सिसौना से बिजनौर-बदायूँ मार्ग पर स्थित अकबरपुर तिगरी तक टूटे एवं जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद जुल्फिकार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थिति की गई)	87-88
-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड हल्दौर के अन्तर्गत सोत खेड़ी, गांगू नगला व ग्राम उमरी पीर में विद्युत पोलों व विद्युत तारों की कमी को पूर्ण कराने एवं सुचारू रूप से चलाये जाने विषयक श्री मोहम्मद इरफान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थिति की गई)...	88
-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत सिसौना रेलवे हाल्ट से गांगू नगला तक टूटे एवं जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मेराज आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थिति की गई)... ...	88
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	88-89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2014

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-340

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह गोप, श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूँ
45. इकबाल, श्री — बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री — संभल
47. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

54. उदयराज, श्री — उन्नाव
55. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
57. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
58. उमाशंकर, श्री — बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
60. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
61. ओम कुमार, श्री — बिजनौर
62. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
63. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
64. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
66. कृष्ण कुमार ओझा, श्री — बहराइच
67. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री — झांसी
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
69. कैलाश, श्री — गाजीपुर
70. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
71. कौशल सिंह कुंवर, श्री — महराजगंज
72. गजराज सिंह, श्री — हापुड़
73. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
74. गयाचरण दिनकर, श्री — बांदा
75. गायत्री प्रसाद, श्री — अमेठी
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
77. गुटियारी लाल दुवेश, श्री — आगरा
78. गुलाब चन्द, श्री — जौनपुर
79. गुलाब मौहम्मद, श्री — मेरठ
80. गोमती यादव, श्री — लखनऊ
81. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
82. चन्द्रा रावत, श्रीमती — लखनऊ
83. चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
84. जगतम्बा सिंह, श्री — मिर्जापुर
85. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
87. जगपाल, श्री — सहारनपुर
88. जगराम पासवान, श्री — बलरामपुर
89. जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
90. जफर आलम, श्री — अलीगढ़
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
92. जमीर उल्ला खां, श्री — अलीगढ़
93. जमील अहमद कास्मी, श्री — मुजफ्फरनगर
94. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
96. जाकिर अली, श्री — गाजियाबाद
97. जाहीद बेग, श्री — सन्तरविदास नगर (भदोही)
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
99. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
100. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
101. तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
102. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
103. दयाशंकर वर्मा, श्री — जालौन
104. दलजीत सिंह, श्री — बांदा
105. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
106. दिलनवाज खान, श्री — बुलन्दशहर
107. दीपक पटेल, श्री — इलाहाबाद
108. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री — झांसी
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
110. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री — महराजगंज

111. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
113. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
114. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
115. धर्मराज , श्री बाराबंकी
116. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
118. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
119. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
120. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
121. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
122. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
123. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
124. नारद राय, श्री बलिया
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
127. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
128. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
129. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
130. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
131. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
132. पीतमराम, श्री पीलीभीत
133. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
134. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
137. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
138. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
139. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
141. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
142. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
143. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
144. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
145. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
146. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
147. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
148. बदलू खां, श्री उन्नाव
149. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
150. बाबू खां, श्री हरदोई
151. बाबूलाल, श्री गोण्डा
152. बावन सिंह, श्री गोण्डा
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
154. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
155. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
156. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
157. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
158. बैजनाथ, श्री मऊ
159. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
160. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
161. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
164. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
165. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
166. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
167. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
168. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
169. मनबोध, श्री देवरिया
170. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद

171. मनीष रावत, श्री सीतापुर
172. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
173. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
176. महबूब अली, श्री अमरोहा
177. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
178. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
179. महेन्द्र कुमार सिंह, उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
180. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
181. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
184. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
187. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूँ
188. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
189. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
190. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
191. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
192. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
193. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
194. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
195. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
196. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
197. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
198. यासर शाह, श्री बहराइच
199. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
200. योगेन्द्र पाल सिंह, श्री कानपुर देहात
201. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
202. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
203. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
204. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
205. रणजीत सुमन, श्रीमती एटा
206. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
208. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
209. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
210. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
211. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
212. रवि शर्मा, श्री झांसी
213. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
214. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
215. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
216. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
217. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
218. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
219. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
220. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
221. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
222. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
223. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
224. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
225. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
226. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
227. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
228. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर

229. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
230. राधे श्याम, श्री अमेठी
231. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
232. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
233. राम करन आर्य, श्री बस्ती
234. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
235. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
236. राम गोविन्द, श्री बलिया
237. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
238. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
239. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
240. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
241. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
242. राम मगन, श्री बाराबंकी
243. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
244. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
245. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
246. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
247. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
248. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
249. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
250. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
251. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
252. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
253. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
254. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
255. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
256. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
257. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
258. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
259. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
260. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
261. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
262. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
263. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
264. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
265. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
266. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
267. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
268. विजय कुमार दुबे, श्री कुशीनगर
269. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
270. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
271. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
272. विजय सिंह, श्री रामपुर
273. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
274. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
275. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
276. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
277. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
278. वीरपाल राठी, श्री बागपत
279. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
280. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
281. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
282. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
283. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
284. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
285. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
286. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
287. शाकिर अली, श्री देवरिया
288. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
289. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
290. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
291. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
292. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा

293. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
294. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
295. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
296. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
297. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
298. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
299. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
300. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
301. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
302. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
303. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
304. संजय कपूर, श्री रामपुर
305. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
306. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
307. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
308. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
309. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
310. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
311. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
312. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
313. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
314. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
315. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
316. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
317. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
318. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
319. सियाराम सागर, डा0 बरेली
320. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
321. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
322. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
323. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
324. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
325. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
326. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
327. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
328. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
329. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
330. सुरेश राणा, श्री शामली
331. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
332 सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
333. सुल्तान बेग, श्री बरेली
334. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
335. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
336. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
337. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
338. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
339. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
340. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सर्वप्रथम चर्चा की मांग

(भारतीय जनता पार्टी के पहले से बेल में बैठे सदस्यगण नारेबाजी करने लगे और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आज 12.20 पर बजट प्रस्तुत होगा और कार्य-मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि आज कोई सूचना काम रोको सम्बन्धी नहीं ली जायेगी, केवल 301 लिया जायेगा और वह लिया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- (सदन के वेल से) -

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने नियम-311 पर नोटिस दी है, पहले 311 पर चर्चा कराई जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-(सदन के वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 पर भारतीय जनता पार्टी को सुना जाय और कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री आजम खां साहब ने जो बयान विधान सभा के भीतर दिया है वह असंसदीय है, धमकी देने वाला है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय और 311 पर बहस करने की अनुमति दीजिए, हमने नोटिस दी है।

नेता विरोधी दल-(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)

माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर पहले उत्तर प्रदेश का सौहार्द्र बिगाड़ा और अब दोनों आपस में मिलकर के सदन के अन्दर का सौहार्द्र बिगाड़ करके प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों को सदन के पटल पर आने में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इस नूराकुश्ती का विरोध करते हुए सदन का बर्हिगमन करती है।

(तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।)

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कल हम लोगों ने एक नोटिस 311 के अन्तर्गत दी, आपने उसको कल सुना नहीं, मान्यवर यह आपका अधिकार है। आज फिर हमने 311 में नोटिस दी है। कार्य-मंत्रणा में यह तो कहीं पर नहीं है कि 311 के अन्तर्गत नोटिस आप स्वीकार नहीं करेंगे। आपने नियम-56 और 301 को स्वीकार न करने की बात कही है। मान्यवर, नियमावली के अन्तर्गत नियम-311 हमें यह अधिकार देता है कि हम आपके समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करें और आपसे निवेदन करें कि नियम-311 के अन्तर्गत आप हमारी बात को सुनें। मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर की जो पोजीशन प्रदेश के अन्दर है, वह आपकी जानकारी में है, हत्याएं हो रहीं हैं, घर के बाहर भी हत्याएं हो रही हैं और घर के अन्दर भी हत्याएं हो रही हैं। मान्यवर, आम आदमी सुरक्षित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये ऐसा हैं मा0 सदस्य, आपने 311 की सूचना दी, मैंने अस्वीकार कर दिया, बात खत्म हो गई। अब चलिये अपने स्थान पर शान्ति से बैठिये और बजट सत्र है, बजट में आपको पूरी बात कहने का अवसर है। कल मैं आपको नियम-56 में कह रहा था कि आप अपनी बात कहिये, आप नहीं मान रहे थे, आप केवल हंगामा कर रहे थे, तो आज कैसे होगा। अब आप बैठिये, 311 नहीं होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-(सदन के वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, आप कार्यवाही देख लें, संसदीय कार्य मंत्री आजम खां की टिप्पणी आपत्तिजनक है, इसे सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने की घोषणा करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-(सदन के वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री का आचरण अलोकतांत्रिक है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष महोदय, बजट का समय 12.20 बजे से है, आप तब तक 311 पर बहस करा लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-(सदन के वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट 12.20 पर प्रस्तुत होगा, तब तक आप 311 पर हमारी सुनवाई करें।

रघुनन्दन सिंह भदौरिया-(सदन के वेल से)-

[x x x]

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारेबाजी करते रहे जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न रही)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कुछ नहीं, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। आपने कहा, आपका आया, मैंने अस्वीकार कर दिया, अब आप न उठायें, अब आप बैठें, अब 311 नहीं होगा। आपको कल भी मैंने कहा था कि नियम-56 में आप बोलिये, तो आप लोग बोले नहीं। मौर्या जी बोल रहे थे, तो उनको बोलने नहीं दे रहे थे आप लोग। नेता प्रतिपक्ष कल बोल रहे थे, उसके बाद आप बोलते, आप न उनको बोलने दिये न खुद बोले। यह क्या तरीका है? यह 311 वगैरह नहीं है, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी सीटों पर जायं, आज बजट पेश होगा, जनरल डिबेट है, चार दिन इसमें जो कहना होगा, कहियेगा, आज क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी इच्छा यही है कि 12.20 तक स्थगित कर दें। अरे, सवाल चलने दें, आप ही के सवाल हैं इसमें। महाना जी, आप ही का यह पहला सवाल है, तो सवाल चलने दें। सोमवार से जब जनरल डिबेट होगा, तो जो कहना होगा, कहियेगा, आज क्यों परेशान हैं। यह बजट सत्र है, इसमें आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। बजट सत्र में चार दिन जनरल चर्चा होगी, जो भी चाहेंगे आप उसमें करेंगे।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, ये परेशान इसलिए हैं कि जो सपने दिखाकर ये दिल्ली की सत्ता पर, केन्द्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं, आज जनता इनसे डण्डा लेकर सवाल कर रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, राजस्थान और मध्यप्रदेश में अपराधों की संख्या तीसरे और चौथे नम्बर पर देश में क्यों है? बलात्कार क्यों हो रहे हैं? राजस्थान में, क्यों नहीं दिखाये जाते? मध्य प्रदेश में क्या हालत है? कानून व्यवस्था की और मान्यवर, बिजली की क्या हालत है? खुद दिल्ली में जहां इनका राज्य है, ये इन सवालों को छुपाने के लिए, ईराक से हमारे हिन्दुस्तानी क्यों नहीं वापस लाये गये? ये हैं सवाल जिन सवालों पर ये अपनी आवाज से जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

ये महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, कानून व्यवस्था को, बलात्कार को, बिजली को इन सारे सवालों को दबाना चाहते हैं और मान्यवर, ये कैसे मुँह दिखायेंगे, इनकी दिल्ली में, केन्द्र में सरकार आने के बाद विदेशों को, स्विस बैंक को जितना पैसा गया है, उससे यह साबित हुआ कि भाजपा की सरकार लाने के लिये जो नम्बर दो का पैसा खर्च किया गया था, उन लोगों ने अपना नम्बर दो का पैसा स्विस बैंक में जमा किया है। सफाई दें मान्यवर, देश सवाल कर रहा है इनसे कि कितना पैसा, काला धन स्विस बैंक में भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ, जमा कहाँ से हुआ। देश जानना चाहता है, देश पूछना चाहता है, देश सवाल कर रहा है इनसे कि स्विस बैंक में आज भाजपा की सरकार आने के बाद जो धन 40 प्रतिशत एक दम बढ़ा है, वह पैसा किसका है। भाजपा के नेताओं का है या भाजपा ने जो कमाई कराई है चुनाव में वो पैसा है। देश जानना चाहता है। इन सवालों को दबाने के लिये विधान सभा में ये माहौल बनाया जा रहा है ताकि जनता उन सवालों के बजाय इन सवालों में उलझ जाये। देश जानना चाहता है कि स्विस बैंक में कहाँ से पैसा आया, किसने दिया ये पैसा। कहाँ की कमाई थी, कौन सा धन था ये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा 311 स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, के प्रत्युत्तर में समाजवादी पार्टी के सदस्यगण द्वारा कांग्रेस व भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं आदि से सम्बन्धित बैनर दिखाये गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, काले धन की कमाई, स्विस बैंक का हिसाब देश जानना चाहता है। कहाँ से आया ये पैसा 40 प्रतिशत, आज पूरा देश जानना चाहता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद ये धन कहाँ से आया। किसकी काली कमाई का ये पैसा था, देश जानना चाहता है। गम्भीर सवाल है मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माध्यम से देश के सबसे बड़े राज्य से सबसे ज्यादा जीते हुये भाजपा के सांसदों से देश जानना चाहता है कि काला धन कहाँ से आया? किसकी कमाई है ये काला धन।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज बजट है, आप सबको जो बातें कहनी हैं, जनरल डिबेट है, उसमें आप अपनी बात कहिये। आपने 311 दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया। आपको शान्त होकर बैठना चाहिये और बात सुननी चाहिये। मा0 महाना जी, यह पहला सवाल आप ही का है तो क्या सवाल का जवाब नहीं लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यहाँ पर कहा है उसकी हर बात का जवाब दिया जायेगा। मान्यवर, कल संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर धमकी दे रहे थे। ये कह रहे थे कि विधान सभा के अन्दर भी निपटेंगे और बाहर भी निपटेंगे। बाहर इन्होंने निकलकर देख लिया है कि इनको जनता ने साफ कर दिया है।

श्री मोहम्मद आज खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ भी जानने से पहले देश को स्विस बैंक में दाखिल हुये 40 प्रतिशत धन का हिसाब दें। ये उत्तर प्रदेश सरकार जानना चाहती है, केन्द्र से जानना चाहती है कि कहाँ से आया यह पैसा। किसकी कमाई है देश जानना चाहता है।

श्री अध्यक्ष-

आपसे फिर मेरा आग्रह है कि सवाल तो हो जाने दीजिये। सवाल आप ही लोगों का है। विपक्ष का अधिकार है सवाल के बारे में।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा 311 जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद का नारा लगाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, डा0 साहब आप दवा खाने वाले हो, जिन्दाबाद लगा रहे हो। अरे आप ही का सवाल है न। अरे बैठो, अब चलो जाओ बैठो। अरे सवाल है आपका। महाना जी, सवाल है जवाब ले लो।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने आसनों पर चले गये।)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, देखिये, हमने आपके आदेशों का पालन किया है। आपसे निवेदन है कि जो बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही है क्योंकि मान्यवर वह बात विधान सभा में आई है तो उसका जवाब देने का अधिकार हमें है। हम उस बात का जवाब दे देंगे। आपका निर्देश मान्य है। आपने कहा चलो हम लोग आ गए, आपसे निवेदन है कि आप हमारी बात सुन लें, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, कल हम लोगों ने मान्यवर, 311 लिये जाने का अनुरोध किया।

(सत्तापक्ष से श्री इकबाल महमूद एवं अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अरे काबिल सदस्य महोदय आप बैठिये, यह सदन आप नहीं चला रहे हैं। यह सदन अध्यक्ष जी चलाते हैं, आप बैठें। आप बैठें। (सत्तापक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों के अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने के प्रयास के कारण घोर व्यवधान की स्थिति)

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मान्यवर, प्रदेश हाहाकार कर रहा है। प्रदेश में अपराधी सरकार के संरक्षण में है। जब सरकार अपराधियों से अपने संरक्षण में काम करायेगी, पूरे प्रदेश में एनार्की की स्थिति हो जायेगी। आज मान्यवर, स्थिति यह है आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उत्तर प्रदेश में एनार्की का माहौल बना रहे हैं, अराजकता का माहौल बना रही है। नहीं बनेगा यह माहौल, पहले सवालों का जवाब दें, उन सवालों का जवाब दें, जिन सवालों पर जीतकर दिल्ली की सरकार में आये हैं। स्विस बैंक में जो पैसा जमा हुआ है, उसका जवाब दें, उसके बाद कुछ और बात बतायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, नियम-311 में चर्चा नहीं होती, केवल नियम शिथिल करने का आग्रह होता है। इसमें चर्चा नहीं होती है, जिन विषयों पर आपको चर्चा करना है बाद में आप कर लीजियेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम किसी भी हालत में प्रदेश को एनार्की की हालात में नहीं ले जाने देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप एनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। आप अराजकता का राज कायम करना चाहते हैं [XXX] बोलकर आपने लोगों के साथ अन्याय किया है।

(शोर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ये केवल बाहर ही एनार्की नहीं फैला रहे हैं, ये सदन के अन्दर भी वही करना चाहते हैं। मान्यवर, कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने मान्यवर, यहां पर विधान सभा की कार्यवाही में है। मान्यवर, कल भी इन्होंने धमकी दी, इन्होंने कहा कि हम सदन के अन्दर भी निपटेंगे और सदन के बाहर भी निपटेंगे। बाहर तो मान्यवर, जनता ने इनसे निपट लिया। सदन के अन्दर मान्यवर, हमने ऐसा कौन-सा आचरण किया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रोसिडिंग में कहीं भी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम आज भी यही कह रहे हैं, मान्यवर, कि सदन के अन्दर भी कानून व्यवस्था कायम करेंगे और सदन के बाहर भी कानून व्यवस्था कायम करेंगे। अराजकता फैलाने का इन्हें मौका नहीं देंगे। इन्हें अराजकता फैलाने का हक नहीं होगा, सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी। अराजकता का अधिकार किसी को नहीं होगा, कानून काम करेगा अपना।

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि कल जो घटना हुई है, विधान सभा के अन्दर और जो कल हम लोगों ने बात कही थी....

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहुत शर्मनाक घटना हुई है, उस पर आपको शर्मिन्दा होना चाहिये। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, आपको शर्मिन्दा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, अब आप शांत कराइये इनको।

(भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के सभी सदस्यों के पुनः वेल में आ जाने के कारण व्यवधान की स्थिति)

अब मैं आधा घण्टे के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने आधे घण्टे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

तारांकित प्रश्न

नत्थी (क)

प्रदेश में श्रमिक कालोनियों में निवास करने वाले श्रमिकों को मालिकाना हक देने का सरकार का निर्णय

*01-श्री सतीश महाना-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रमिक कालोनियों में निवास करने वाले श्रमिकों को मालिकाना हक देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी विस्तृत नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक कालोनियों को उनमें निवास कर रहे अध्यासियों को उनका मालिकाना हक प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 2788/364-94-16/1992 दिनांक 24-9-1994, संख्या-515/36-4-95-16/1995 श्रम अनुभाग-4 दिनांक 21-02-1995 एवं पत्र संख्या-41सी0एम0/

36-4-1995-16/1992 दिनांक 06-12-1995 निर्गत किये गये थे परन्तु मूल आवंटियों द्वारा रूचि न लिये जाने के कारण भवनों का हस्तान्तरण नहीं हो सका।

एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0 लखनऊ को उच्चीकृत करने तथा नये विभाग खोलकर गरीबों को मुफ्त इलाज दिये जाने की कार्य योजना की जानकारी

*02-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई एम0एस0, लखनऊ को उच्चीकृत करने तथा उसमें नये विभाग बनाने सम्बन्धी कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है तथा उक्त संस्थान में गरीबों के लिये मुफ्त चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

संस्थान में पी0एम0एस0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित नवीन भवन में चार विभाग क्रियाशील किये जा चुके हैं। एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को उच्चीकृत करने हेतु एक नये विभाग एडवान्स सेन्टर फार आपथैलमिक को आंशिक रूप से क्रियाशील कर दिया गया है। आपातकालीन मेडिसिन विभाग को शीघ्र क्रियाशील किया जाना सम्भावित है। ट्रामा सेन्टर भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है इसको शीघ्र क्रियाशील किये जाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में हिमैटोलोजी एवं लीवर ट्रान्सप्लान्ट के भी नये वार्ड के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। बी0पी0एल, अंत्योदय, लावारिस तथा विपन्न मरीजों को निःशुल्क उपचार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 2.00 करोड़ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये स्वीकृत किया गया तथा असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लिवर) के मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु रु0 2.50 करोड़ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशियों का सम्पूर्ण उपभोग किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में असाध्य रोगों के मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु लेखा अनुदान से प्राविधानित धनराशि में रु0 1.00 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है। नियमित बजट पास होने के बाद इस मद में आवश्यकतानुसार और धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी। इसी प्रकार बी0पी0एल0, अंत्योदय, लावारिस तथा विपन्न मरीजों के उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रस्तावित रु0 2.00 करोड़ के स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त संस्थान द्वारा अतिनिर्धन कामधेनु सोसाइटी का भी संचालन किया जा रहा है। इस सोसाइटी से भी बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड धारक मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

*03-श्री दलवीर सिंह-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

नोटः- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

*04-श्री प्रदीप माथुर-

[2सरे सोमवार के तारा0 प्र0स0-06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा की स्थिति सुधारने हेतु ''आम आदमी बीमा योजना'' लागू करने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

*05-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गैर संगठित क्षेत्र में भारी संख्या में कामगार कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सामाजिक सुरक्षा की स्थिति सुधारने हेतु केन्द्र सरकार की ''आम आदमी बीमा योजना'' को प्रदेश में लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी हां।

गैर-संगठित क्षेत्र (असंगठित) के कर्मकारों हेतु भारत सरकार द्वारा ''असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008'' प्रख्यापित किया गया है। उक्त केन्द्रीय अधिनियम में ''आम आदमी बीमा योजना'' भी सम्मिलित है। उक्त अधिनियम को प्रदेश में लागू करने हेतु राज्य नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त अधिनियम में वर्णित योजनाओं से असंगठित क्षेत्र के कर्मकार लाभान्वित होंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

*06-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[3सरे बुधवार के तारा0 प्र0स0-08 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु मण्डल स्तर पर पी0जी0आई0 जैसी सुविधा प्रदान करने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

*07-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये मण्डल स्तर पर पी0जी0आई0 जैसी सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0जी0आई0 जैसे संस्थानों की स्थापना आवश्यकता एवं राज्य सरकार के संसाधनों पर निर्भर करती है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ में अत्यधिक निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बी0पी0एल0 कार्ड धारकों सभी निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के बी0पी0एल0 कार्डों को बनाये जाने की सरकार की कार्य विधि

01-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में अत्यधिक निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बी0पी0एल0 कार्ड कब से बनना शुरू होंगे ? क्या सरकार बतायेगी कि सभी निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह (राजा भइया)-

लखनऊ शहर में 5461 अन्त्योदय एवं 10655 बी0पी0एल0 गरीब परिवारों को पूर्व से ही राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके डाटा डिजिटाईजेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात तुरन्त ही नवीनीकृत राशन कार्ड जारी कर दिये जायेंगे।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ शहर में स्थायी रूप से रह रहे निराश्रित विधवाओं, विकलांगों आदि के बी0पी0एल0 राशन कार्ड पात्रता के आधार पर बनाये गये हैं तथा भविष्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बनाये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लोकतंत्र सेनानियों को सहायक के साथ निःशुल्क बस यात्रा सुविधा वोल्वो एवं प्लेटिनम बस सेवाओं में प्रदान कराने की माँग

02-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सहायक के साथ निःशुल्क बस यात्रा प्रदान की है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि लोकतंत्र सेनानियों को उक्त सुविधा वोल्वो एवं प्लेटिनम बस सेवाओं में प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री- (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)

जी हाँ। आपातकाल के दौरान राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को उनके एक सहयोगी सहित उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में (प्लेटिनम लाइन/वोल्वों सेवाओं को छोड़कर) निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1234 जेड/6-सा-1-2012-26जी/2012, दिनांक-31.12.2012 के अनुसार राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को उ0प्र0 परिवहन निगम की वोल्वों/प्लेटिनम लाइन बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार

प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन की जानकारी, बोर्ड के पदाधिकारियों तथा इलाहाबाद, कानपुर एवं गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में पंजीकृत श्रमिकों की स्थिति तथा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

03-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम प्रदेश में लागू है? यदि हां, तो क्या इसके अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित हो गया है? यदि हां, तो कब से और इसके कौन-कौन सदस्य तथा अध्यक्ष है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2011-12, 2012-13 में इलाहाबाद, कानपुर एवं गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में कितने-कितने मजदूरों का पंजीकरण कराया गया है तथा उन्हें क्या-क्या प्रमुख सुविधायें प्राप्त हुई?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

जी हाँ,

जी हाँ,

प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 13.04.2011 से हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् है :-

क्र0सं0		
1.	प्रमुख सचिव, श्रम	पदेन अध्यक्ष
2.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार	पदेन सदस्य
3.	श्रमायुक्त, उ0प्र0	पदेन सदस्य
4.	विशेष सचिव, आवास विभाग	पदेन सदस्य
5.	विशेष सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
6.	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
7.	श्री ए0के0 सिंह (सेवायोजक)	सदस्य
8.	सुश्री अलका दास (सेवायोजक)	सदस्य
9.	श्री एस0के0 गर्ग (सेवायोजक)	सदस्य
10.	श्री विष्णु शुक्ला (कर्मचारी-प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	श्री भोलानाथ तिवारी (कर्मचारी-प्रतिनिधि)	सदस्य
12.	श्रीमती अर्शिया नाजिम (कर्मचारी-प्रतिनिधि)	सदस्य

श्रमिक पंजीकरण की स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13
इलाहाबाद	8017	6205
कानपुर	4102	4792
गौतमबुद्धनगर	1804	12356
गाजियाबाद	3733	7113

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवेदन करने पर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं क्रमशः दुघर्टना सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं अन्त्येष्टि योजना, बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार हितार्थ औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना तथा साइकिल सहायता योजना का लाभ पात्र निर्माण कामगारों को प्रदान किया गया है।

जनपद इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी व मेरठ के राजकीय मेडिकल कालेजों को उच्चीकृत करने की सरकार की योजना में केन्द्र सरकार का योगदान के आधार पर कार्य आरम्भ किये जाने की सरकार की योजना

04-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी व मेरठ के मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा नागरिकों को इससे क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि केन्द्र सरकार का भी इसमें कोई योगदान है ? यदि हां, तो क्या और उक्त अपग्रेडेशन कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के 04 राजकीय मेडिकल कालेज यथा झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ को उच्चीकृत किये जाने का निर्णण लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन कालेजों में उपलब्ध विभिन्न विशिष्टताओं को उच्चीकृत एवं अति विशिष्ट विशिष्टताओं का सृजन करते हुए मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत योजना के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिए रु0 150.00 करोड़ दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांश रु0 120.00 करोड़ एवं राज्यांश रु0 30.00 करोड़ होगा।

भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में मेडिकल कालेज झांसी का उच्चीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु गैप एनालासिस का कार्य एम्स, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

05 [1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में वर्ष 2014 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या की जानकारी तथा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना

06-श्री सतीश महाना-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2014 तक कितने बेरोजगार सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं तथा क्या उन समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या शेष को इस वित्तीय वर्ष 2014-15 में बेरोजगारी भत्ता दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

मार्च, 2014 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में 74,19,485 बेरोजगार पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 में निहित सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, 25 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य की आयु वाले, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु0 36,000/- या उससे कम हो एवं जो 31 अगस्त, 2012 तक प्रदेश के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों एवं जिन्होंने दिनांक 31-03-2013 तक बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन किया हो, ऐसे समस्त पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 में न्यू लेबर कालोनी, बाबूपुरवा के ब्लाक नं0 265, 266, 267 में क्षतिग्रस्त नाली खड़ंजा की मरम्मत का मामला

07-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 में न्यू लेबर कालोनी, बाबूपुरवा के ब्लाक नं0-265, 266, 267 के पीछे नाली एवं खड़न्जा क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व खड़न्जा की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी हाँ।

जी नहीं।

कानपुर महानगर में निर्मित श्रमिक कालोनियों के अन्तर्गत स्थित नाली व खड़ंजों के निर्माण एवं मरम्मत का दायित्व नगर निगम, कानपुर का है। श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक कालोनियों के नाली खड़ंजों के निर्माण अथवा मरम्मत कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में निजी अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा निजी होम्योपैथिक कालेज खोलने हेतु वर्ष 1981 में सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग

08-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा निजी होम्योपैथिक कालेज खोलने पर सरकार द्वारा वर्ष 1981 में लगाई गई रोक वर्तमान में प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या सरकार होम्योपैथिक पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उक्त लगाई गई रोक को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ। उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के अध्याय-3 की धारा-8 के अनुसार प्रदेश में अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा निजी होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किये जाने पर लगायी गयी रोक प्रभावी है।

वर्तमान में रोक हटाने हेतु कई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रमुख शहरों आगरा, बनारस, कानपुर, लखनऊ, मेरठ आदि में वर्ष 2004 से 2013 तक बेरोजगारी की दर की जानकारी तथा बेरोजगारी दर को घटाने की सरकार की ठोस कार्य योजना

09-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे आगरा, बनारस, कानपुर, लखनऊ, मेरठ आदि में वर्ष 2004 से दिसम्बर, 2013 तक बेरोजगारी दर क्या रही है ? क्या सरकार बढ़ती बेरोजगारी दर को घटाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

विभाग द्वारा बेरोजगारी दर धारित नहीं की जाती है।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को घटाने के लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जहां उन्हें समाहित रूप से कार्यालय प्रबन्धन का एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें टंकण, आशुलिपि, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सचिवीय पद्धति, सामान्य गणित, सामान्य हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा लिपिक वर्ग की सेवाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की नीति

10-श्री सतीश महाना-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ती हुई जनंसख्या के दृष्टिगत सर्वसुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की कोई नीति बनने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न नगरों में नगर सीमा के अन्तर्गत यात्रियों को यातायात की सुविधा के दृष्टिगत वर्ष 1992 से नगर बसों का संचालन आरम्भ किया गया है। वर्तमान में 12 नगरों में नगर बसों का संचालन हो रहा है, जिनमें से नगर विकास विभाग की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 07 महानगरों-लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, मथुरा एवं आगरा में सम्बन्धित नगरीय संचालन इकाई द्वारा नगर बसों का संचालन किया जा रहा है। अन्य 05 नगरों-मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, फैजाबाद एवं गोरखपुर में निजी संचालकों द्वारा नगर बसों का संचालन किया जा रहा है। नगर बसों के अतिरिक्त प्रदेश के सभी महानगरों में टैम्पो-टैक्सी एवं आटो रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। महानगरों में संचालित नगर बसों, आटो रिक्शा एवं टैम्पो टैक्सी द्वारा नगरीय परिवहन की आवश्यकता के अनुरूप यात्रियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद अलीगढ़ में विकास खण्ड चन्दौस ग्राम दौरऊ को डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित करने के बाद भी वंचित शेष आन्तरिक गलियों, नाली आदि का निर्माण कराया जाना

11-श्री दलवीर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में विकास खण्ड चन्दौस ग्राम दौरऊ को डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित कर क्या-क्या विकास कार्य कराये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्राम दौरऊ में विकास से वंचित शेष आंतरिक गलियों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश यादव)-

ग्राम दौरऊ चांदपुर विकास खण्ड चण्डौस वर्ष 1996-97 में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित हुआ था। पंचायतीराज विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में 20 व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय एवं 500 मीटर नाली खड़ंजा निर्माण कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम की आंतरिक गलियों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा छिमिया कैथापुर से संतोष विश्वकर्मा के घर तक कच्चा मार्ग की मरम्मत/निर्माण का प्रकरण

12-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा छिमिया कैथापुर पीच रोड से संतोष विश्वकर्मा के घर तक कच्चा मार्ग जो अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पीच स्तर तक निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क जिला पंचायत, चंदौली की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण अंचलों में प्रस्तावित स्थलों पर आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की सरकार की योजना की जानकारी

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण अंचलों में प्रस्तावित स्थलों पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक खुलवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण अंचलों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत की जाती है। इस हेतु जिला अनुश्रवण समिति की संस्तुति/प्रस्ताव के साथ-साथ परिव्यय एवं बजट की उपलब्धता होनी आवश्यक है। इसके लिए अभी उक्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं है।

जनपद बरेली के चौराहों तथा प्रमुख स्थानों पर बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से रात्रि में स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाकर प्रकाश की नियमित व्यवस्था कराने की मांग

14-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महानगर बरेली के चौराहों तथा प्रमुख स्थानों पर बिजली की खपत कम करने तथा शहर में रात्रि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइटों को सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाकर समुचित व नियमित प्रकाश की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा मार्ग प्रकाश की सामुदायिक व्यवस्था करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में एवं प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों की स्थापना का कार्य कराया जाता है।

प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ग्राम प्रधानों को मानदेय एवं विकास निधि दिये जाने के प्राविधान की जानकारी

15-श्री दलवीर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ग्राम प्रधानों को मानदेय एवं विकास निधि दिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें मानदेय एवं विकास निधि दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक भत्ता एवं ग्राम प्रधान को प्रतिमाह मानदेय शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी/01टी0सी0-II, दिनांक 07-01-2014 द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

विकास निधि दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के लोहिया ग्राम चिलकोरा, ब्लाक लोधा को रामघाट रोड (बम्बा किनारे) से जोड़ने वाला क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का प्रकरण

16-श्री दलवीर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के लोहिया ग्राम चिलकोरा, ब्लाक लोधा को रामघाट रोड (बम्बा किनारे) से जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार इस मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में आई0सी0यू0 व आपरेशन थियेटर तथा अन्य उपचार स्थलों पर खटमल व काकरोच के भीषण प्रकोप की रोकथाम की मांग

17-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हृदय रोग संस्थान के के0जी0एम0सी0 लॉरी में आई0सी0यू0 व आपरेशन थियेटर व अन्य महत्वपूर्ण उपचार स्थलों पर खटमल व काकरोच का

भीषण प्रकोप है, जिससे हृदय रोग के साथ-साथ अन्य संक्रामक बीमारी भी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर हृदय रोग पीड़ित मरीजों को फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से बचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्डियोलाजी विभाग के आपरेशन थियेटर में काकरोच तथा इन्सेक्ट की समस्या नहीं है, जिस कारण से संक्रामक बीमारी होने का खतरा नहीं है। विभाग की आई0सी0सी0यू0/वार्ड के बेड साइड लाकर में मरीजों के रिस्तेदारों द्वारा रखी जाने वाली खाद्य सामग्री के कारण कभी-कभी काकरोच आ जाते हैं। काकरोच, मच्छर तथा अन्य इन्सेक्ट के नियंत्रण के लिए हर महीने दवा का छिड़काव किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

यूपीनेडा के माध्यम से दी जाने वाली सोलर लाइटों की औसत आयु के पूर्व खराब हो जाने की शिकायत तथा उसके रखरखाव की जानकारी

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेडा के माध्यम से दी जाने वाली सोलर लाइटों की औसत आयु कितनी है एवं इनकी मरम्मत कराने की क्या व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि ये लाइटें लगने के एक साल के अन्दर खराब हो जाती हैं ? यदि हां, तो इन्हें बदलने की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

यूपीनेडा के माध्यम से स्थापित कराये जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट के सोलर पैनल की आयु 25 वर्ष एवं बैटरी की औसत आयु 05 वर्ष होती है। सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना एवं कमीशनिंग के उपरान्त 05 वर्षों की अवधि में संयंत्रों की कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी एवं रखरखाव की कार्यवाही अनुबन्धित फर्मों के द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

पाँच वर्ष तक संयंत्र में आयी खराबी को दूर करने तथा इस अवधि में संयंत्र की किसी अवयव को बदलने की आवश्यकता है तो उसे बदलने का दायित्व अनुबन्ध के अनुसार अनुबंधित फर्म का होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दैनिक उपयोग हेतु मार्ग/भवन/अन्य निर्माण में प्रयोग की जाने वाली बालू की उपलब्धता आम उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार खनन का पट्टा स्वीकृत करने की सरकार की नीति

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू खनन की नीति क्या है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मार्ग/भवन/अन्य निर्माण आदि में दैनिक उपयोग के लिए आम

उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार प्रदेश में बालू उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश सहित शाहजहांपुर में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)-

टेण्डरिंग/ई-टेण्डरिंग से बालू खनन पट्टा स्वीकृत करने की नीति प्रभावी है।

प्रदेश में आम उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार बालू उपलब्ध हो रही है।

जी हाँ।

बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद पीलीभीत की तहसील पीलीभीत के कतिपय गांवों में चल रहे अवैध खनन को रोकने तथा कार्यवाही करने की मांग

20-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत गांव बालपुर पट्टी, खरूआ, सहजना, जहानाबाद, मीरापुर एवं बिलईपसियापुर तथा तहसील बीसलपुर के गांव गजरौला, कितनापुर, भीरूआ, टेहरी, मानपुर बीसलपुर, करईया, रसूला, मुड़ीया करोड़ एवं चपरौआ कुइयां आदि गांवों के परिक्षेत्र में मिट्टी एवं नदियों से बालू खनन की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों में भारी मात्रा में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)-

जी हाँ।

जनपद पीलीभीत की तहसील पीलीभीत के ग्राम-मीरापुर में साधारण के ग्राम-मीरापुर में साधारण बालू का खनन पट्टा स्वीकृत है। शेष ग्रामों में नहीं है। ग्राम-बालपुर पट्टी व खरूआ में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गयी। ग्राम बिलईपसियापुर में अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी के स्टोन क्रेशर उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के बच्चों एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक जीवन सुदृढ़ करने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

21-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्टोन क्रेशर उद्योग वृहद मात्रा में संचालित है परन्तु इस उद्योग में कार्यरत मजदूरों के परिवार के सदस्य एवं बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन मजदूरों के बच्चों एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक जीवन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोई कार्य योजना संचालित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

झांसी जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग की 71 इकाइयां जिला उद्योग केन्द्र, झांसी में पंजीकृत है जिसमें से कुछ इकाइयां वर्तमान में बंद है, परन्तु कार्यरत मजदूरों के परिवार के सदस्यों एवं बच्चों के कुपोषण के शिकार होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। स्टोन क्रेशर उद्योग में कार्यरत मजदूर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के लिए निर्माण श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नई ग्राम पंचायत की गठन प्रक्रिया नीति की जानकारी तथा निजामपुर गौटिया जो शाहबाजनगर, ददरौल जनपद शाहजहाँपुर का मजरा है को अलग ग्राम पंचायत भौगोलिक आधार पर बनाने की माँग

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई ग्राम पंचायत के गठन की नीति क्या है? क्या सरकार निजामपुर गौटिया जो शहवाजनगर ददरौल शाहजहांपुर का मजरा है, की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलग ग्राम पंचायत बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

पंचायत राज अधिनियम-1947 (यथा संशोधित-1994) की धारा-11(च) पंचायत क्षेत्र की घोषणा के अनुसार ग्राम पंचायत गठित करने का मानक निम्नांकित है:-

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिनकी जनसंख्या, यथासाध्य, एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिए, विभाजित नहीं किया जायेगा।

2. राज्य सरकार, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी भी समय-

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है, या

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम से परिवर्तन कर सकती है, या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

जी नहीं।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम-1947 (यथा संशोधित-1994) की धारा-11(च) के प्रावधान के अनुरूप ग्राम पंचायत शाहबाजनगर के मजरे निजामपुर गौटिया को राजस्व ग्राम न होने के कारण ग्राम पंचायत नहीं बनाया जा सकता है।

जनपद शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा व ददरौल के सभी ग्रामों में शौचालयों के निर्माण का प्रकरण

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा व ददरौल के सभी ग्रामों हेतु सरकार 150-150 शौचालयों की स्वीकृति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-135 शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा व ददरौल के सभी ग्रामों में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत 13846 शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

एम्स की शाखा रुहेलखण्ड में एन0एच0-24 पर स्थित मीरानपुर कटरा में खोले जाने के सरकार के प्रस्ताव की जानकारी

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार एम्स की शाखा रुहेल खण्ड में एन0एच0-24 पर स्थित मीरानपुर कटरा में खुलवाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा रूहेलखण्ड क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर का उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने अथवा रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित किये जाने का अनुरोध अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या-1611/71-2-2012-30/12, दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर स्थल चयन पर विचार किया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोले जाने की सरकार की नीति तथा ग्राम पंचायत शाहवाजनगर में एक नई दुकान खोले जाने की मांग

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, कितनी आबादी पर खोले जाने की नीति है ? क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पंचायत शाहवाजनगर, जनपद शाहजहांपुर में 17 हजार यूनिट है तथा इसके मजरे निजामपुर गोटिया, रजबनगर, रोशन नगर तथा बेहटा अलग-अलग तथा दूर-दूर हैं ? क्या सरकार ग्राम पंचायत शाहवाजनगर में 5 दुकानें बनाकर मजरे के निवासियों की सुविधा को देखते हुये अलग-अलग मजरों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खुलवाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)-

ग्रामीण क्षेत्र में 800 राशन कार्ड या 4000 से अधिक यूनिट होने की स्थिति में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बनायें जाने की व्यवस्था है।

जी हां।

ग्राम पंचायत शाहवाजनगर में वर्तमान में 04 उचित दर दुकानें कार्यरत हैं, जिन पर कुल 2212 राशन कार्ड सम्बद्ध हैं। राशनकार्डों/यूनिटों की संख्या के दृष्टिगत 04 उचित दर दुकानें पर्याप्त हैं। अतएव पांचवीं दुकान वर्तमान परिस्थितियों में खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी का बस अड्डा बीच शहर से बाहर स्थापित करने की मांग

26-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी का बस अड्डा शहर के बीच में स्थित होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरायी रहती है। एवं घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बस अड्डा को शहर से बाहर अन्यत्र स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां। जनपद झांसी में वर्तमान में परिवहन निगम का कोई भी बस अड्डा नहीं है, नगर निगम झांसी द्वारा कानपुर रोड पर बनाये गये बस अड्डा से निगम बसों एवं प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है, जो वर्तमान में शहर के अन्दर हो गया है। जिसके एक ओर मॉल व दूसरी ओर सब्जी मण्डी एवं गल्ला मण्डी स्थित है। प्राइवेट बसों एवं टैक्सियों के अनियंत्रित संचालन एवं शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थान पर बस अड्डा होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जनपद-झांसी में शहर के बाहर परिवहन निगम का बस अड्डा बनाये जाने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर भूमि की तलाश की जा रही है।

भूमि उपलब्ध होने पर निगम द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र अपना बस अड्डा शहर से बाहर स्थापित कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के परिवहन मुख्यालय को शहर की यातायात व्यवस्था से जोड़े जाने की सरकार की योजना

27-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी का परिवहन मुख्यालय जो नगर निगम की परिधि में है तथा शहर की आबादी लगभग 9-10 लाख है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु महानगर बस सेवा की शुरूआत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के द्वितीय चरण योजना में प्रदेश के 09 निकायों, जिसमें नगर निगम झांसी सम्मिलित है, का चयन किया गया है। जनसामान्य को बेहतर गुणवत्तापरक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अन्य नगरों के साथ नगर निगम, झांसी को बुनियादी सुविधाओं सहित कुल 139 बसों का डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रु0 6926.99 लाख को मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा परिचालन के माध्यम से मार्च, 2014 में अनुमोदित किया गया है, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार से होना है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के द्वितीय चरण योजना से संबंधित समस्त कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त द्वितीय चरण योजना में परिवहन विभाग की कोई प्रतिभागिता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम पंचायत में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों की मरम्मत/रि-बोर कराकर ठीक कराने की मांग

28-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में ग्राम पंचायत वार खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत/रि-बोर कराकर ठीक करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की लघु मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत स्तर से करा दिया गया है तथा समय-समय पर लघु मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की खराबी से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तीन दिवस के अन्दर ठीक कराया जा रहा है।

रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों का कार्य अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0, जल निगम द्वारा कराया जा रहा है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वर्ष 2014-15 हेतु इस जनपद में 750 नग हैण्डपम्पों के रि-बोर का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में सर्वेक्षण कार्य कराया गया। सर्वेक्षण उपरान्त जनपद शाहजहांपुर 1700 नग हैण्डपम्प रि-बोर योग्य पाये गये। प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रति विकास खण्ड 50 नग हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य माह जुलाई, 2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[1ले मंगलवार के अता0 प्र0स0-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर बीसलपुर में 25 वार्डों के सापेक्ष 21 उचित दर दुकानें कार्यरत होने के दशा में शेष वार्डों पर राशन कार्डों की दुकानों को स्थापित करने की मांग

30-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर बीसलपुर में 25 कक्ष हैं परन्तु सस्ते राशन की दुकान मात्र 21 हैं साथ ही साथ एक कक्ष में 5, दो कक्षों में 3-3 तीन कक्षों में दो-दो, चार कक्षों में एक-एक तथा शेष कक्ष सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान विहीन हैं, क्या सभी कक्षों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह-

वर्तमान में नगर बीसलपुर में 25 वार्डों के सापेक्ष 21 उचित दर दुकानें कार्यरत हैं। दुकानों की अवस्थिति पूर्व से ही स्थापित चौहद्दियों में है। शासनादेश दिनांक 15-01-2004 के अनुसार उचित दर की दुकानों की नियुक्ति का आधार 800 राशनकार्ड/4000 यूनिट है, न कि वार्ड। बीसलपुर नगर के समस्त वार्डों के राशनकार्डधारक उचित दर की दुकानों से शत-प्रतिशत संतृप्त हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका द्वारा वार्डों का समय-समय पर परिसीमन भी किया जाता रहता है। अतः प्रत्येक वार्ड में उचित दर की दुकान नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में सम्पूर्ण देश में ख्याति प्राप्त चावल उद्योग, गुड़ उद्योग, बांसुरी उद्योग आदि के रूग्ण होने के कारण इन्हें पुनर्जीवित करने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने की सरकार की नीति

31-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में सम्पूर्ण देश में ख्याति प्राप्त चावल उद्योग, गुड़ उद्योग, बांसुरी उद्योग, पत्तल उद्योग एवं बीड़ी उद्योग रूग्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने हेतु कोई प्रोत्साहन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत शरण गंगवार)-

जनपद पीलीभीत में सम्पूर्ण देश में ख्याति प्राप्त चावल उद्योग, गुड़ उद्योग, बांसुरी उद्योग रूग्ण नहीं है। पत्तल उद्योग एवं बीड़ी उद्योग जनपद पीलीभीत में नहीं है।

शासनादेश संख्या-959/18-2-2004-77(44)/88 दिनांक 9-6-2004 में रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु व्यवस्था की गई है।

जनपद पीलीभीत के मार्गों पर अतिभारित वाहनों की बाहुल्यता के कारण चीनी मिलों के सामने वाले मार्गों पर आवागमन बाधित होने के कारण कार्यवाही किये जाने की मांग

32-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के मार्गों पर अतिभारित वाहनों की बाहुल्यता के कारण चीनी मिलों के सामने वाले मार्गों पर आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या अतिभारित वाहनों को यातायात नियमों का अनुपालन कराने के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जनपद पीलीभीत में चीनी मिलों के मार्गों पर अतिभारित वाहनों की अधिकता ही आवागमन बाधित रहने का कारण नहीं है। वाहनों की गलत पार्किंग, फूटपाथ पर अनधिकृत कब्जे तथा शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में प्रश्नगत चीनी मिलों के स्थित होने के कारण भी आवागमन बाधित होता है।

जनपद पीलीभीत से गुजरने वाले अतिभारित वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही निरन्तर की जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में 80, वर्ष 2012-13 में 332 एवं 2013-14 में 573 भार वाहनों का ओवरलोडिंग में चालान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय बहादुर यादव, विधायक का दिनांक 04 अप्रैल, 2014 का संलग्नक सहित प्रबन्ध निदेशक लखनऊ को लखनऊ महानगर परिवहन सेवा की बसों का संचालन समयानुसार संचालित कराये जाने सम्बन्धी पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

33-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय बहादुर यादव, विधायक का दिनांक 04 अप्रैल, 2014 का पत्र संलग्नक सहित प्रबन्धक निदेशक, लखनऊ महानगर परिवहन सेवा को समय से बसों के संचालित न होने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां,

1-मार्ग संख्या 24, 24ए व 24 सी0 के एम0एस0टी0 धारकों द्वारा दिनांक 04-04-2014 का हस्ताक्षरित एक संयुक्त पत्र प्रबन्ध निदेशक, परिवहन विभाग को सम्बोधित किया गया। पत्र में उक्त रूट की प्रातः कालीन अनियंत्रित महानगर बस सेवा को दुरुस्त करते हुये इंजीनियरिंग कालेज से मार्ग संख्या 24 की बस को प्रातः 8.30 बजे व 8.45 के अन्तराल पर संचालित करने तथा मुंशी पुलिया से मार्ग संख्या 24ए व 24सी की सेवा को प्रातःकाल 9.00 बजे से संचालित कराने का अनुरोध किया गया।

2-मा0 विधायक जी के पत्र दिनांक 04-04-2014 के साथ उपर्युक्त वर्णित पत्र प्राप्त हुआ। मा0 विधायक जी के पत्र में लखनऊ महानगर परिवहन सेवा के रूट संख्या 24, 24ए व 24सी के एम0एस0टी0 धारकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित संलग्न शिकायती प्रार्थना-पत्र का संदर्भ दिया गया है जिसके माध्यम से एम0एस0टी0 धारकों ने उक्त रूट की प्रातः कालीन अनियंत्रित महानगर बस सेवा को दुरुस्त करते हुये इंजीनियरिंग कालेज से व मुंशी पुलिया से प्रातःकाल 8.45 से 15 मिनट के अंतराल पर दो बसों के संचालन का आग्रह किया है जिससे वे समय पर अपने-अपने कार्यालय पहुंच सके। मा0 विधायक जी ने अपने पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित को वांछित आदेश देने का अनुरोध किया है, ताकि एम0एस0टी0 धारक यात्री प्रातः काल समय से कार्यालय पहुंच सकें।

3-मा0 विधायक जी की अपेक्षानुसार दुबग्गा डिपों से मार्ग संख्या-24ए का संचालन मुंशी पुलिया से प्रातः 9.00 बजे एवं मार्ग संख्या 24सी का संचालन मुंशी पुलिया से प्रातः 9.10 बजे किया जा रहा है। इसी प्रकार गोमती नगर डिपो की मार्ग संख्या 24 का संचालन इंजीनियरिंग कालेज से प्रातः 8.20 एवं 8.50 बजे किया जा रहा है जो मुंशी पुलिया से प्रातः 8.35 एवं प्रातः 9.05 पर संचालित होती है। इस प्रकार इंजीनियरिंग कालेज से प्रातः 8.20 एवं 8.50 पर तथा मुंशी पुलिया से प्रातः 8.35, 9.00, 9.05 तथा 9.10 पर नगरीय परिवहन सेवा की बसें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम-छतेनी से ग्राम-अजमतपुर होते हुये ग्राम-गुलड़िया बसारी तक जर्जर सड़क की मरम्मत का प्रकरण

34-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम-छतेनी से ग्राम-अजमतपुर होते हुये, ग्राम-गुलड़िया बसारी तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में न होने के कारण मरम्मत/निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम-अरेली पचदेवरा मार्ग से ग्राम-सहतेपुर होते हुये ग्राम छतेनी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का प्रकरण

35-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम-अरेली पचदेवरा मार्ग से ग्राम-सहतेपुर होते हुये ग्राम छतेनी तक की सड़क अत्यन्त

क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में न होने के कारण मरम्मत/निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्थित मिनी औद्योगिक आस्थानों को प्रदूषण रहित बनाने हेतु सरकार की निर्धारित नीति

36-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित मिनी औद्योगिक आस्थानों को प्रदूषण रहित बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत शरण गंगवार-

जी नहीं।

मिनी औद्योगिक आस्थानों को प्रदूषण रहित बनाने हेतु सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कोई अलग से नीतिगत शासनादेश जारी नहीं है, किन्तु उद्यम स्थापना के लिये प्रदूषण नियंत्रण विभाग से (प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिनियमों के तहत) उद्यमी द्वारा क्रमशः अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सहमति-पत्र प्राप्त किया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम के दुकान पर रायपुर ब्लाक खुदागंज में एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को चार बार दण्डित किये जाने के बावजूद कोटेदार का कोटा निरस्त न करने का औचित्य

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ग्राम रायपुर ब्लाक खुदागंज में एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार को (04) बार दण्डित किये जाने के बाद बतौर कोटेदार बनाये रखने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त दुकानदार का आवंटन निरस्त कर किसी अन्य को आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रायपुर, विकास खण्ड खुदागंज में संचालित सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता को 04 बार आर्थिक रूप से दण्डित किया गया है। सक्षम अधिकारी के स्तर पर उक्त विक्रेता के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताएं सिद्ध न पाये जाने के कारण दुकानदार का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य स्थिति नहीं पायी गयी। इस बीच उक्त विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच खाद्य

प्रकोष्ठ से भी करायी गयी। खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा अपनी जांच आख्या में उचित दर विक्रेता के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 409 व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के अनुसार उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी शाहजहांपुर को दे दिये गये हैं। तदनुसार कार्यवाही के उपरान्त सक्षम स्तर से दुकान के निरस्तीकरण के बारे में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखीमपुर खीरी के सेवायोजन कार्यालय में मार्च, 2012 से मई, 2013 तक बेरोजगारों की संख्या की जानकारी तथा पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रकरण

38-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के सेवायोजन कार्यालय में मार्च, 2012 से मई, 2013 तक रोजगार हेतु कितने लोगों ने आवेदन किया है एवं मार्च, 2012 से मार्च, 2014 तक कितने ऐसे अभ्यर्थी है जो बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त श्रेणी में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

मार्च, 2012 से मई, 2013 तक जनपद लखीमपुर खीरी में सेवायोजन कार्यालय में 62,318 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया। दिनांक 31-05-2013 तक लखीमपुर खीरी में सेवायोजन कार्यालय में कुल 81,941 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

वर्तमान में दिनांक 31-03-2013 तक आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जिला-उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम एकथरा ग्राम राधानगरी ग्राम गोसाई खेड़ा आदि ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का प्रकरण

39-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक असोहा थाना-असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम एकथरा ग्राम राधानगरी ग्राम गोसाई खेड़ा आदि ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्गों का निर्माण जिला पंचायत, उन्नाव की किसी भी कार्य योजना में स्वीकृत/ प्रस्तावित नहीं है।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत दऊ में कच्चे चक रोड पर खड़न्जा निर्माण कराने का प्रकरण

40-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत दऊ में कच्चे चक रोड पर खड़न्जा निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय जनता एवं किसानों की आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम पंचायत में चिन्हित चक रोड पर खड़न्जा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां,

ग्राम पंचायत-दऊ में चकरोडों की संख्या-157 है। ग्राम पंचायत दऊ में चिन्हित चकरोड का स्थान निर्दिष्ट नहीं है तथा विभाग में ग्राम पंचायत द्वारा चकरोडों पर खड़न्जा निर्माण कराने हेतु कोई विशिष्ट योजना संचालित नहीं है। जिला पंचायत उन्नाव की किसी भी कार्य योजना में कच्चे चकरोड पर खड़न्जा निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत स्तरीय सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रकरण

41-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत स्तरीय सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

समूह ''घ'' के रिक्त पदों की सामान्य भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

वर्ष 1993-94 के आयुर्वेद घोटाले में लिप्त एवं सहभागी कर्मचारियों में से सी0बी0आई0 द्वारा श्री प्रभात कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक (सीतापुर) के दोष सिद्ध होने की दशा में जेल में निरुद्ध होने की तिथि का वेतन दिये जाने का प्रकरण

42-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 के आयुर्वेद घोटाले में लिप्त एवं सहभागी कर्मचारियों में से सी0बी0आई0 द्वारा श्री प्रभात कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक (सीतापुर) को

अभियोजन की स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात् दि0 01-09-98 से 06-11-99 तक जिला कारागार लखनऊ में निरुद्ध रखा गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि तथ्यों को छिपाकर श्री शर्मा को जेल में निरुद्ध अवधि को सेवाकाल मानकर उक्त अवधि का भी वेतन भुगतान किया गया है एवं निरुद्ध अवधि को भी सेवाकल मानते हुये 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण के दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आयुर्वेद निदेशालय के आदेश दिनांक 02-01-1997 द्वारा श्री प्रभात कुमार शर्मा को निलम्बित किया गया था तथा श्री शर्मा के विरुद्ध आयुर्वेद निदेशालय के आदेश दिनांक 22-01-98 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 06 सितम्बर, 2000 में यह व्यवस्था है कि आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय जांच की कार्यवाही पृथक-पृथक एवं साथ-साथ करने में कोई बाधा नहीं है। श्री शर्मा द्वारा अपने निलम्बन आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-6337/2000 योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04-02-2000 को श्री शर्मा के उक्त निलम्बन आदेश दिनांक 02-01-97 को निरस्त कर दिया गया, जिसके अनुपालन में आयुर्वेद निदेशालय के आदेश दिनांक 23-10-2000 द्वारा श्री शर्मा को बहाल किया गया। उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये जिसके क्रम में आयुर्वेद निदेशालय के आदेश दिनांक 04-06-2010 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सवेतन समाप्त की गयी। प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री शर्मा को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2009-2010 में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (कम्पाउण्डर) के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रकरण

43-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 में होम्योपैथिक के दो सौ कम्पाउण्डरों को भर्ती हेतु विज्ञापन विज्ञापित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त विज्ञाप्ति कम्पाउण्डरों की भर्ती कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। वर्ष 2009-10 में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (कम्पाउण्डर) के 431 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु माह फरवरी, 2009 में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था।

जी नहीं।

वर्ष 2009 में फार्मासिस्ट के विज्ञापित 431 पदों पर निम्नलिखित कारणों से वर्तमान में चयन की कार्यवाही अवरूद्ध है :-

1-कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 09-06-2009 द्वारा सीधी भर्ती पर सामान्य रोक लगाते हुये सरप्लस कर्मचारियों के समाायोजन के आदेश निर्गत किये गये हैं। सरप्लस स्टाफ पूल में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के समतुल्य कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण उक्त शासनादेश में निर्धारित प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण की जानी थी। जब तक प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण हो पाती, इसी मध्य वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट संवर्ग की शैक्षिक अर्हता में परिवर्तन कर दिया गया, जिसके क्रम में विभागीय कार्यकारी आदेश दिनांक 23-11-2012 द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की निर्धारित शैक्षिक अर्हता परिवर्तित हो गयी है। अतः वर्ष 2009 में फार्मासिस्ट के विज्ञापित पदों पर उ0प्र0 होम्योपैथिक भैषजिक सेवा नियमावली, 1991 अथवा कार्यकारी आदेश दिनांक 23-11-2012 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर चयन किया जाय, इस बिन्दु पर निर्णय हेतु परामर्शी विभागों का परामर्श प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2-उक्त पदों को भरे जाने हेतु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी है, जो सम्प्रति मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से सम्बन्धित निरुद्ध दोषियों को दण्ड दिलाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करने का प्रकरण

44-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से सम्बन्धित कुल कितने लोग प्रदेश की जेलों में बन्द है। क्या सरकार दोषियों को दण्ड दिलाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं सुधार मंत्री (श्री बलराम यादव)-

आतंकवादी घटनाओं से सम्बन्धित कुल 50 व्यक्ति विचाराधीन बंदी के रूप में उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कारागार विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम गैलाना/मौजा की खसरा संख्या-770 से 784 तथा 802 से 885 तक की भूमि न्यू मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अधिग्रहीत की गयी जमीन को किसानों को वापसी करने विषयक श्री अमित गौरव यादव स0वि0स0 का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

45-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 अमित गौरव यादव, विषयक के पत्र संख्या-पी0जी0-10352190, दिनांक 27-09-2013 जो जिला आगरा के ग्राम गैलाना/मौजा की

खसरा संख्या-770 से 784 तथा 802 से 885 तक की भूमि जो कई वर्षों पूर्व न्यू मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अधिग्रहीत की गयी की थी एवं जिसका प्रतिकर किसानों द्वारा न लेकर उक्त भूमि पर काबिज है को अधिग्रहण से मुक्त कर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा से आख्या प्राप्त की गयी थी। जिलाधिकारी आगरा द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या में प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया गया अथवा नहीं तथा अर्जित भूमि में से किस-किस खसरा संख्या की भूमि रिक्त है, का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त सूचना जिलाधिकारी से प्राप्त की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम खडेसरी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य को इसी सत्र में पूर्ण कराने का मामला

46-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम खड़ेसरी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज का निर्माण इस सत्र में पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अब तक लगभग 52 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में आवश्यक केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् (सी0सी0एच0) का निरीक्षण न हो पाने के कारण वर्तमान शैक्षणिक-सत्र में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी सहित प्रदेश में नेडा के माध्यम से लगाई जाने वाली सोलर लाइटों की औसत आयु के भीतर ही खराब होने के कारण बदलवाने की योजना की जानकारी

47-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी सहित प्रदेश में नेडा के माध्यम से लगाई जाने वाली सोलर लाइटों की औसत आयु क्या है तथा इनकी मरम्मत की सरकार द्वारा की गई क्या व्यवस्था है ? क्या यह सही है यह लाइटें लगने के 1 वर्ष के भीतर ही खराब हो जाती हैं ? यदि हां, तो इनके बदलने हेतु क्या नीति बनाई गई है ?

श्री अखिलेश यादव-

यू0पी0 नेडा के माध्यम से स्थापित कराये जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट के सोलर पैनल की आयु 25 वर्ष एवं बैटरी की औसत आयु 05 वर्ष होती है। सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना एवं कमीशनिंग के उपरान्त 05 वर्षों की अवधि में संयंत्रों की कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी एवं रख-रखाव की कार्यवाही अनुबन्धित फर्मों के द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

पांच वर्ष तक संयत्र में आयी खराबी को दूर करने तथा इस अवधि में संयंत्र के किसी अवयव को बदलने की आवश्यकता है तो उसे बदलने का दायित्व अनुबन्ध के अनुसार अनुबंधित फर्म का होता है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 में गेहूं क्रय के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 20-5-2014 तक की गई क्रय की स्थिति की जानकारी

48-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 में गेहूं क्रय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके सापेक्ष 20-05-2014 तक कितना गेहूं क्रय किया गया है ? क्या सरकार इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह-

जी हां, वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2014-15 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 45 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 20-05-2014 तक 302521.53 मी0टन गेहूं क्रय किया गया है।

जी हां। दिनांक 20-05-2014 का एजेन्सीवार गेहूं खरीद परिलेख संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

रबी क्रय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गेहूं क्रय का परिलेख दिनांक 20-05-2014 (एक दृष्टि में)

(मात्रा मी0टन में)

क्र0-सं0	नाम एजेन्सी	स्वीकृत क्रय केन्द्र	स्थापित क्रय केन्द्र	क्रय लक्ष्य (लाख मी0टन में)	तद्दिनांक गेहूं खरीद	क्रमिक गेहूं खरीद	गतवर्ष क्रमिक खरीद	लक्ष्य के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खाद्य विभाग	500	483	10.25	471.66	28216.45	85403.62	2.75
2	पी0सी0एफ0	2950	2998	17.25	606.39	146442.97	340515.34	8.49
3	यू0पी0एग्रो	230	225	3.25	369.88	23577.90	35420.81	7.25
4	यू0पी0एस0एस0	800	810	6.25	1315.00	56126.86	106601.21	8.98
5	एस0एफ0सी0	130	130	2.00	284.65	15038.45	26527.13	7.52
6	नैफेड	क्रय एजेन्सी नामित नहीं है।					8013.56	
7	कल्याण निगम	200	197	2.50	162.03	7709.92	18837.13	3.08
8	एन0सी0सी0एफ0	100	95	1.50	73.50	3605.20	9827.57	2.40
	योग	**4910**	**4938**	**43.00**	**3283.11**	**280717.75**	**631146.37**	**6.53**

भ0खा0नि0 में सम्प्रदान	भा0खा0नि0 में अवशेष सम्प्रदान	किसानों को देय भुगतान (करोड़ रु0 में)	किसानों को किया गया भुगतान (करोड़ रु0 में)	अवशेष भुगतान	लाभान्वित कृषकों की संख्या
10	11	12	13	14	15
21051.58	-7164.87	39.503	39.503	0.000	5280
111859.38	-34583.59	205.020	205.020	0.000	43477
21889.87	-1688.03	33.009	33.009	0.000	3384
47536.58	-8590.28	78.578	78.578	0.000	13013
13634.00	-1404.45	21.054	21.054	0.000	2294
6005.15	-1704.77	10.794	10.794	0.000	1267
3348.35	-256.85	5.047	5.047	0.000	440
225324.90	-55392.84	393.005	393.005	0.000	69155

केन्द्रीय पूल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	भा0खा0नि0	90	97	2-00	496.05	21803.78	8867.54	10.90
	महायोग	**5000**	**5035**	**45.00**	**3779.17**	**302521.53**	**640013.91**	**6.72**

10	11	12	13	14	15
21307.00	-496.78	30.525	30.525	0.000	2889
246631.90	**-55889.62**	**423.530**	**423.530**	**0.000**	**72044**

मण्डी परिषद से प्राप्त सूचनानुसार गेहूं की आवक की दैनिक सूचना (क्रय केन्द्रों की खरीद छोड़कर) मण्डी परिषद् द्वारा सूचित आवक दिनांक 15-05-2014 तक 08.65 लाख मी0 टन वर्ष 2013-14 में उक्त तिथि तक आवक 08.25 लाख मी0 टन

न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 1400 प्रति कुन्तल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

2-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,

3-प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश शासन,

4-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन,

5-महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 क्षेत्र, लखनऊ,

6-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(प्रभारी अधिकारी)
खाद्य नियंत्रण कक्ष।

आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ। फोन/फैक्स नं0 2286046

जनपद आगरा में स्थित ताज महल से 500 मी0 की परिधि में निवासित के वाहनों को प्रतिबन्धित क्षेत्र में आने जाने में हो रही असुविधा के निराकरण का मामला

49-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा, विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट में ताजमहल पूर्वी गेट से 800 मीटर की दूरी पर अहमद बुखारी, नगला पैमा व गढ़ी बंगस मोहल्लों में वाहनों के निकलने के लिये वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था न होने एवं ताजमहल के निकट होने के कारण वाहनों को रोके जाने से क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार से वाहनों के आवागमन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

याचिका संख्या-13381/84 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ताजमहल से 500 मीटर की परिधि में निवासित व्यक्तियों के वाहनों को ही प्रतिबन्धित क्षेत्र में आने-जाने हेतु पास जारी किये जायें। अहमद बुखारी, नगला पैमा व गढ़ी बंगस ताजमहल की 500 मीटर की परिधि से बाहर स्थित हैं। ऐसी स्थिति में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनकी वाहनों को प्रतिबन्धित क्षेत्र में आने-जाने हेतु पास जारी नहीं किये जा सकते हैं, क्योंकि पूर्वी गेट से अहमद बुखारी, नगला पैमा व गढ़ी बंगस तक प्रतिबन्धित क्षेत्र से होकर ही जाया जा सकता है। इस कठिनाई के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा उक्त स्थानों के निवासियों की वाहनों को आने-जाने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग शिल्पग्राम से धांधूपुरा-करभना-तलफी का नगला-नगला, पैमा-गढ़ी, बंगस-अहमद बुखारी तक प्रदान किया गया है। संबंधित ग्रामवासियों को पूर्वी गेट से अपने गांव पैदल/साइकिल से आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

चूंकि प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अतः इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्यवाही वांछित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नैनाना जाट विकास खण्ड बरौनी अहीर में जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने तथा सी0सी0 रोड व नाली आदि बनाये जाने की मांग

50-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नैनाना जाट विकास खण्ड बरौनी अहीर आगरा में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गलियों में पानी भराव की विकट समस्या रहती है तथा लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से निजात दिलाने हेतु गांव में सी0सी0रोड व नाली बनवाने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत, आगरा से संबंधित नहीं है।

जनपद आगरा के 90-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अजीजपुर विकास खण्ड विचपुरी गांव में नालियों के चोक होने से जल भराव की समस्या को दूर करने हेतु सफाई आदि की व्यवस्था कराने विषयक

51-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अजीजपुर विकास खण्ड विचपुरी आगरा में गांव की गलियों में नाले व नालियां चोक हैं जिससे गांव में जल भराव की समस्या रहती है तथा लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी समस्या से निजात दिलाकर गलियों में नाले व नलियों की सफाई कराते हुये सी0सी0 रोड का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

जी हां। नाले और नालियों की नियमित सफाई होती रहती है। वर्तमान में सी0सी0 रोड निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवसैठा व गांव हरीनगर में जाटव बस्ती तथा मुस्लिम बस्तियों में नाली चोक होने से जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु नियमित सफाई तथा सी0सी0 रोड आदि के निर्माण का प्रकरण

52-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव देवसैठा व गांव हरीनगर में विभिन्न गलियों व जाटव बस्ती तथा प्राथमिक विद्यालयों में जल भराव की विकट समस्या रहती है तथा मुस्लिम बस्तियों में जल भराव होने के कारण रास्ता बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से जनहित में निजात दिलाने हेतु जल निकासी व सी0सी0 रोड की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम देवसैठा एवं हरीनगर में विभिन्न बस्तियों व जाटव बस्ती तथा प्राथमिक विद्यालय में जल भराव की विकट समस्या नहीं रहती है तथा मुस्लिम बस्तियों में जल भराव के कारण रास्ता बाधित नहीं रहता है। समय-समय पर नियमित रूप से सफाई का कार्य कराया जाता है।

जनपद सोनभद्र के ओवरा, अनपरा तथा रार्वट्सगंज के परिवहन निगम के बस अड्डा परिसर अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण हो रही असुविधा के कारण ठीक कराने का प्रकरण

53-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा, अनपरा तथा राबर्ट्सगंज के उ0प्र0 राजकीय परिवहन निगम बस अड्डा परिसर अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के

कारण यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस अड्डे के परिसर की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हाँ।

अनपरा में एन0टी0पी0सी0 की भूमि पर परिवहन निगम का बस स्टेशन संचालित है, जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए लघु मरम्मत कार्य परिवहन निगम द्वारा अपने संसाधनों से कराया जायेगा। ओबरा बस स्टेशन परिवहन निगम की भूमि पर स्थापित है तथा यहां यात्री सुविधा हेतु लघु मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जायेगा। राबर्ट्सगंज स्थित परिवहन निगम के बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, जो एक ही परिसर में स्थित है, के भवन अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिसके पुनर्निर्माण हेतु रु0 339.65 लाख का आगणन स्वीकृत है, जिसकी निविदा की कार्यवाही गतिशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये ग्रिड सप्लाई के अतिरिक्त वैकल्पित ऊर्जा उत्पादन हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

54-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये ग्रिड सप्लाई के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु रिमोट ग्राम विद्युतीकरण योजना तथा डिसेन्ट्रेलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डीडीजी) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

रिमोट ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों जिनका पारम्परिक विद्युत ऊर्जा से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है, को उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा यूपीनेडा को सूचित किये जाने के उपरान्त सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

डिसेन्ट्रेलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डीडीजी) योजना के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में 41 ग्रामों/मजरों की डीपीआर ऊर्जा विभाग द्वारा बनवायी गयी थी। जो आरईसी द्वारा स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में निविदा की कार्यवाही अग्रसर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक बेरोजगारों की संख्या की जानकारी तथा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की माँग

55-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक जनपद सोनभद्र में बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या सभी पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता के साथ रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रबन्ध करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

सेवायोजन कार्यालय सोनभद्र में 31 मार्च, 2012 तक पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या 56085 एवं 30 नवम्बर, 2013 तक पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या 74627 थी।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2012 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों में से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में पोकलेन मशीनों से खनन करने से सोन और कनहर नदियों की धारा मूलरूप से बदलने से हो रहे पर्यावरण के गम्भीर खतरे का मामला

56-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में पोकलेन मशीनों से खनन किये जाने से सोन और कनहर नदियों की धारा मूलरूप में बदलने से पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में मुक्त दवाई न मिलने में हो रही असुविधा को देखते हुए मुफ्त दवाई बाँटे जाने की माँग

57-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण गरीब मरीजों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0एन0 मेडिकल अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज के लिये मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, अस्पताल आगरा में गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त दवाईयों हेतु विगत 04 वर्षों में निम्नवत् धनराशि आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि
2010-11	रु0 2,00,00,000/-
2011-12	रु0 2,30,00,000/-
2012-13	रु0 3,00,00,000/-
2013-14	रु0 3,00,00,000/-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखा अनुदान के माध्यम से 04 माह के लिऐ रु0 1,10,00,000/- की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों अथवा दूध में मिलावट पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाने का प्रकरण

58-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों अथवा दूध में मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो माह मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक प्रदेश में कुल कितने विशेष अभियान चलाये गये तथा निरीक्षण/छापा/नमूना संग्रहण की कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ सहित अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक समस्त जनपदों में 709 विशेष अभियान चलाकर 12451 निरीक्षण व 3166 छापा मारकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ के 3543 नमूनें संग्रहीत किये गये। विशेष अभियान/नियमित कार्यवाही में कुल 41840 निरीक्षण, 6122 छापे मारकर कुल 7316 नमूनें संग्रहीत किये गये।

उपरोक्त कार्यवाही की मण्डलवार सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुनील कुमार सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-58 की मण्डलवार नकली दूध, खाद्य पदार्थ दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ पर कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट

क्र0-सं0	मण्डल	विशेष अभियानों की संख्या (उपरोक्त अवधि में)	निरीक्षण की संख्या (उपरोक्त अवधि में)		छापों की संख्या (उपरोक्त अवधि में)	
			विशेष अभियान में	कुल	विशेष अधियान में	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा मण्डल	41	772	2758	232	601
2	अलीगढ़ मण्डल	41	779	2300	204	360
3	आजमगढ़ मण्डल	15	364	1376	144	137
4	इलाहाबाद मण्डल	22	809	2682	191	274
5	कानपुर मण्डल	26	474	1525	132	251
6	गोरखपुर मण्डल	66	1398	3745	213	273
7	चित्रकूटधाम मण्डल	26	365	763	140	263
8	झांसी मण्डल	23	446	1347	94	202
9	देवीपाटन मण्डल	25	777	1968	169	353
10	मुरादाबाद मण्डल	76	512	3444	112	411
11	मेरठ मण्डल	27	1770	4354	333	672
12	लखनऊ मण्डल	47	979	4179	309	701
13	वाराणसी मण्डल	40	984	2978	122	199
14	सहारनपुर मण्डल	30	392	3174	237	432
15	फैजाबाद मण्डल	43	788	3352	263	499
16	बरेली मण्डल	55	221	1272	145	277
17	बस्ती मण्डल	12	137	412	38	86
18	मिर्जापुर मण्डल	94	484	211	88	131
	मण्डल योग	**709**	**12451**	**41840**	**3166**	**6122**

संग्रहीत नमूनें (उपरोक्त अवधि में)		नष्ट/जब्त सामग्री की मात्रा कि0ग्रा0 (उपरोक्त अवधि में)		नष्ट/जब्त सामग्री का मूल्य (उपरोक्त अवधि में) (रुपये में)	
विशेष अभियान में	कुल	विशेष अभियान में	कुल	विशेष अभियान में	कुल
8	9	10	11	12	13
235	597	1855	2826	257500	405000
213	425	6657	16698	1464340	2418525
150	274	326	326	61120	61120
146	271	4632	4887	489440	615820
153	321	5020	5684	749400	928220
205	272	7860	7860	202800	1612800
126	259	6336	6336	594287	594287
143	224	9875	11925	1022600	1094600
120	335	672	735	60350	64355
255	802	2070	7250	319550	375200
404	891	5820	7610	1282275	1659275
322	697	2382	2614	447050	4826601
190	247	1739	2104	248670	272450

8	9	10	11	12	13
289	543	2405	4121	339325	607565
237	469	1622	2334	500775	551475
229	449	873	973	163540	163540
35	88	605	905	135700	195700
91	152	790	840	154000	197500
3543	**7316**	**61539**	**86028**	**8492722**	**16644033**

प्रदेश के किसानों को धान की खरीद में बोनस दिये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

59-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को धान की खरीद में बोनस दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं। धान खरीद में बोनस दिये जाने की राज्य सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक मिलावटी दूध के पकड़े गये मामले पर की गई कार्यवाही की जानकारी

60-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक में मिलावटी दूध के कितने मामले पकड़े गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उसका ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में मार्च, 2012 से नवम्बर, 2013 तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2011 के अन्तर्गत सतत् प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुये दूध के 2282 नमूनें संग्रहीत किये गये, इन संग्रहीत नमूनों में से 922 नमूनें मानक के अनुरूप न पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 723 वाद न्याय निर्णायक अधिकारी/सक्षम न्यायालय में दायर किये गये। इस अवधि में मा0 न्यायालय द्वारा 07 व्यक्तियों को कारावास की सजा दी गयी। रु0 71,43,300/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

जी हां, उपरोक्तानुसार ब्यौरा अवलोकनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के ग्राम समय स्थान शीटी-पड़ौली में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल जर्जर खाद्य गोदाम में चलने से भवन निर्माण की मांग

61-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला के ग्राम समय-स्थान शीटी-पड़ौली में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल खाद के जर्जर गोदाम में चल रहा है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भीटी-पड़ौली (समयस्थान) स्थानीय खाद गोदाम में निःशुल्क रूप से संचालित है।

जी हां।

ग्राम सभा द्वारा प्रश्नगत चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और भूमि चिकित्सालय के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त जिला योजना के अन्तर्गत चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अधूरे कार्य को पूरा कराकर नये सत्र में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ कराने की मांग

62-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के निर्माण में अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितना निर्माण कार्य अवशेष है ? क्या सरकार उक्त राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण पूर्ण कराकर नये सत्र में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर के निर्माण पर अब तक कुल रु0 2440.41 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा लगभग 48 प्रतिशत निर्माण कार्य शेष है।

निर्माण कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में आवश्यक केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद (सी0सी0एच0) का निरीक्षण न हो पाने के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम मामखोर में निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की जानकारी

63-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के ग्राम मामखोर में निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल भवन का निर्माण कार्य रुक गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। बजट व्यवस्था होने पर प्रश्नगत चिकित्सालय का भवन निर्माण अवशेष धनराशि स्वीकृत कर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा हिलौनी, विकास खण्ड नियामताबाद में पिच रोड से हिलौनी तक क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत का प्रकरण

64-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हिलौनी, वि0खं0 नियामताबाद में पिच रोड से हिलौनी गांव तक पिच रोड क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे जन मानस को आने जाने में भारी कठिनाइयां हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री कालीचरन सुमन-

[1ले बुधवार के अता0प्र0स0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गाँव लालगढ़ी विकास खण्ड बिचपुरी के अन्तर्गत लालगढ़ी से सिकन्दरपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की माँग

66-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव लालगढ़ी, विकास खण्ड बिचपुरी के अन्तर्गत लालगढ़ी से सिकन्दरपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग एवं गांव लालगढ़ी के अन्तर्गत सड़क में गहरे-गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिससे नागरिकों के आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण 10 वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया था जिसका जिला पंचायत, आगरा से कोई संबंध नहीं है।

जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने की मांग

67-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में तहसील मुख्यालय होने के बावजूद बस स्टैण्ड न होने से क्षेत्रीय यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार खेरागढ़ में बस स्टैण्ड का निर्माण किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हाँ।

खेरागढ़ में बस स्टेशन के निर्माण हेतु सैंया-खेरागढ़ मार्ग पर गाटा संख्या-532 में 0.1850 हे0 भूमि आवंटित है, जिसके सम्पूर्ण क्षेत्र पर अवैध निर्माण है। आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण को खाली कराने अथवा वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

68-डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

[कार्य-सूची के तारा0प्र0सं0-07 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ के मेडिकल कालेज में मरीजों को भोजन आदि के लिये दिये जाने वाले बजट की बढ़ोत्तरी हेतु सरकार से कार्यवाही करने की मांग

69-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10418810/2014 जो जनपद मेरठ के मेडिकल कालेज में मरीजों को भोजन आदि के लिये दिये जाने वाले बजट बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित है, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उक्त पत्र में मेडिकल कालेज, मेरठ में मरीजों को वेन्टीलेटर की सुविधा न मिलने तथा उन्हें दिये जाने वाले भोजन आदि के लिए बजट में बढ़ोत्तरी किये जाने का उल्लेख किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज, मेरठ में उपलब्ध 05 वेन्टीलेटर के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है, आई0सी0सी0यू0 की स्थापना हेतु रु0 327.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है, जिससे अतिरिक्त वेन्टीलेटर तथा अन्य जीवन रक्षक मशीनों के क्रय की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन हेतु रु0 800.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है, जिसके भी क्रय की कार्यवाही प्रचलित है।

मेडिकल कालेज, मेरठ में मरीजों हेतु भोजन मद के बजट प्राविधान में वृद्धि कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 27.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 04 माह हेतु लेखानुदान के माध्यम से रु0 9.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के मेडिकल कालेज में बीमारियों के इलाज हेतु उच्चीकृत करते हुए बजट जारी करने से सम्बन्धित कार्यवाही करने की जानकारी

70-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10418817/2014 जो जनपद मेरठ के मेडिकल कालेज में बीमारियों के इलाज हेतु उच्चीकृत करते हुए बजट जारी करने से सम्बन्धित है, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, मेरठ के उच्चीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। प्रस्ताव में कैंसर, हृदय रोग के आपरेशन (बाईपास-इन्ज्योप्लास्टी) सुविधायें सम्मिलित है। भारत सरकार से इसकी स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त मेडिकल कालेज, मेरठ को उक्त सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में वर्ष 2012-2013 में मिलावटी दूध व खाद्य पदार्थ के एकत्र किये गये नमूनों की जाँच हेतु दुग्ध जाँच प्रयोगशाला झांसी में स्थापित करने विषयक

71-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2012-13 में मिलावटी दूध एवं खाद्य पदार्थों के कितने नमूने एकत्र किये गये और कितने मामलों में कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इस मिलावटी दूध की बिक्री को रोकने हेतु दुग्ध जांच प्रयोगशाला, झांसी में स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद-झांसी में दूध एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु 202 नमूनें संग्रहीत किये गये, जिनमें से 27 नमूने मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध वाद दायर किये गये हैं।

प्रदेश में जनपदों से प्रयोगशालाओं में जांच हेतु प्रेषित किये जाने वाले नमूनें गोपनीयता की दृष्टि से जिस मण्डल में जनपद स्थित हो उस मण्डल में स्थित प्रयोगशाला में प्रेषित नहीं किये जाते है। झांसी मण्डल के नमूनें क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला आगरा में जांच हेतु प्रेषित किये जाते हैं। झॉसी में क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में विहित प्राविधानानुसार शीर्ष कार्यकारी संस्था भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विश्लेषण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उक्त प्रयोगशाला में जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। इस हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धनौली, अजीजपुर में जल निकासी की व्यवस्था सुधारने हेतु खेरिया मोड़ से नरीपुरा अजीजपुर, धनौली से मलपुरा तक नाले के निर्माण की मांग

72-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धनौली, अजीजपुर में जल निकासी की व्यवस्था सही न होने के कारण सम्पूर्ण गांव में पानी भराव की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार जल निकासी हेतु खेरिपा मोड़ से नरी पुरा अजीजपुर, धनौली से मलपुरा तक नाले का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत नाला जिला पंचायत से संबंधित नहीं है। पूर्व में प्रश्नगत नाले का निर्माण नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित डूडा द्वारा कराया गया है।

जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धनौली व अजीजपुर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग

73-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धनौली व अजीजपुर में सफाई न होने के कारण नाले-नाली चोक हैं जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं तथा लोगों का जीना दूभर हो गया है ? यदि हां. तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के नाले व नालियों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हां।

जी हां।

नाले और नालियों की सफाई करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये रोड सेफ्टी पालसी बनाये जाने की मांग

74-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेशों में बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सड़क सुरक्षा नीति (रोड सेफ्टी पॉलिसी) लागू करने के लिये निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार केरल राज्य की भांति प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं, तथापि दिनाँक 05-09-2013 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गयी ''सड़क सुरक्षा

नीति'' को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के परिवेश में स्थानीय आवश्यताओं इत्यादि को देखते हुए ''राज्य सड़क सुरक्षा नीति'' तैयार की जाये।

जी हाँ।

अधिसूचना संख्या-1575/30-3-2014-32एम/2013टी0सी0, दिनांक 16-06-2014 द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा नीति जारी कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में बैटरी चालित आटो रिक्शा चलाने पर सरकार की रोक लगाने की कार्यवाही की जानकारी

75-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में बैटरी चालित आटो रिक्शा चलाने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं। लखनऊ शहर में बैटरी चालित आटो रिक्शा चलाने हेतु अभी तक वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत किसी भी टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा प्रदत्त उक्त वाहन के प्रोटोटाइप के प्रमाण-पत्र परिवहन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के अन्तर्गत बोझी अतरसांवा मार्ग से खोनाचवर अनु0 बस्ती होते हुए राजभर बस्ती तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना

76-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के अन्तर्गत बोझी अतरसांवा मार्ग से खोनाचवर अनु0 बस्ती होते हुये राजभर बस्ती तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत की कार्ययोजना में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं है।

जिला मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के अन्तर्गत बोझी बड़रांव मार्ग से करनपुर अनु0 बस्ती तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना

77-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के अन्तर्गत बोझी बड़रांव मार्ग से करनपुर अनु0 बस्ती तक लगभग 2.0 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त

है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत की कार्ययोजना में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं है।

जिला मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत लउवासाथ सिवान से अहिरूपुर चट्टी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना

78-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड-फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत लउवासाथ सिवान से अहिरूपुर चट्टी तक लगभग 04 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत की कार्ययोजना में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की सूचना

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बजट पेश होने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। इस सरकार के दो बजट को मैं पहले देख चुका हूँ उन बजटों में जो व्यवस्थायें होनी चाहिए थी उनको सरकार पूरा नहीं कर सकी इसलिए इस बजट को सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मान्यवर, हम अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री सतीश महाना अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना दे दें।

कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गयी व्यवस्था इस प्रकार है-

''हाँ'' सभा कक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर एवं मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ एवं बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर एवं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद एवं कासगंज, एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली एवं पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई एवं उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर एवं फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर जिलों के समस्त सदस्यगण और ''नहीं'' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना बजट भाषण प्रारम्भ करें।

मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माह फरवरी, 2014 में मैंने इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माहों-अप्रैल से जुलाई, 2014 तक की अवधि हेतु वचनबद्ध खर्चों और चालू योजनाओं के लिए लेखानुदान पारित कराया था। अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2014-15 का सम्पूर्ण बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।.....

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित की जाय।

(प्रतियां वितरित की गई।)

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, उदारीकरण के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से औद्योगीकरण पर आधारित रहने लगी और कृषि क्षेत्र को प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के बजाय सहयोगी आर्थिक क्षेत्र मान लिया गया। इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र धीरे-धीरे विकास की मुख्यधारा से कटते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास आजादी के 60 वर्षों बाद भी आबादी की मांग व हमारी सोच के अनुरूप नहीं हो पाया। जोतों के विभाजन और अलाभकारी कृषि तथा गांवों में निम्न जीवनस्तर के परिणामस्वरूप रोजगार और बेहतर नागरिक सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण जनता का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है जो शुभ संकेत नहीं है।

महोदय,

दो तरह की चुनौतियां सरकार के सामने मौजूद हैं-प्रथम यह कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या को सुचारू जीवन प्रदान करना जिसमें जनता को सुरक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, सड़क और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुलभ रहे, दूसरा यह कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को लाभकारी बनाया जाय और ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के लिये मूलभूत सुविधायें विकसित

की जायें जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सड़कें, पानी, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधायें सुलभ हों। हमारी सरकार इन चुनौतियों के प्रति पूर्णतया सजग है।

मान्यवर,

बजट केवल एक दस्तावेज या आमदनी और खर्चे का लेखा-जोखा नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास और परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। हमारा यह बजट एक साधारण बजट न होकर नई आशा और प्रतिबद्धता का बजट है।

इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिये आशा और प्रतिबद्धता का संदेश है। उस रिक्शा चालक के लिये है, जो शहर में शरीर को झुलसा देने वाली धूप में रिक्शा चलाने के लिये मजबूर है। उस छोटे किसान के लिये है जो कड़ी धूप में बैलों की मदद से अपना खेत जोतता है, हमारे नौजवानों के लिये है जिनके बेहतर रोजगार के लिये उनके कौशल (Skill) का विकास होना है, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिये जिन्हें सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की राह पर तेजी से ले जाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिये तथा उद्यमियों के लिए ताकि वे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करें और रोजगार के अवसर सृजित हों। अल्पसंख्यकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मान्यवर,

मैं आज इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता का आह्वाहन करता हूँ कि आइये हम सब मिलकर अविलम्ब गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे अभिशापों को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें। हम यह संकल्प भी लें कि हम पर्यावरण को संरक्षित करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये अपना भरपूर योगदान देंगे। हमारा आने वाला कल वर्तमान में हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी दृष्टि और हमारी कर्मठता पर निर्भर होगा। हमें आज यह प्रण लेना है कि हमें प्रदेश और समाज के विकास के पथ पर मन्थर गति से चलने के बजाय तीव्र गति से दौड़ना है।

मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार जनता के साथ इस प्रयास में बराबर की सहभागी रहेगी और जनता को हर संभव सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। विकास की इस दौड़ में आने वाली तमाम बाधाओं और रूकावटों को दूर करने में हम जनता के सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं।

मान्यवर,

मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों के माध्यम से जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारे लिये यह जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आने वाले कल का निर्माण करने के लिये निर्णय लेने का आज उपयुक्त अवसर है।

मैं जनता से यह भी कहना चाहता हूँ कि मुझे हर उस व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास है जिसकी आखों में बेहतर कल के लिए एक सपना है। हम इस सपने को साथ मिलकर पूरा करेंगे ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

मान्यवर,

हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले दो वर्षों में जनता के हित में तेज गति के साथ प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का अथक एवं सार्थक प्रयास किया है। इसी का परिणाम रहा है कि विगत दो वर्षों में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर देश की आर्थिक विकास दर से अधिक रही है।

हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक नई एवं महत्वाकांक्षी योजनायें आरम्भ की हैं। हमने प्रदेश के विकास के लिए एजेण्डा तैयार किया है जिसमें औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण सृजित कर निजी निवेश आकर्षित करने, किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र के विकास, सड़कों का विकास, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों, युवाओं का उत्थान एवं कौशल विकास, ग्राम्य तथा नगरीय विकास की योजनाओं के साथ-साथ प्रशासन तंत्र को कुशल एवं प्रभावी बनाने के प्रयास शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ है जिसमें से साढ़े पन्द्रह करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिये कृषि नीति, 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन करते हुये उत्पादकता में वृद्धि के लिये आवश्यक व्यवस्थायें की गयी हैं। खेती के अलावा डेयरी, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन के व्यवसायों को भी बढ़ावा देने की योजनायें बनायी गयी हैं।

मुझे यह बताते हुये अपार हर्ष है कि प्रदेश में अवस्थापना और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 12 जून, 2014 को नई दिल्ली में ''निवेशक सम्मेलन'' आयोजित किया गया जिसमें देश विदेश की लगभग 150 कम्पनियों द्वारा भाग लिया गया। यह सम्मेलन अत्यन्त सफल रहा और 23 कम्पनियों ने लगभग 54,606 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता ज्ञापन खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, सौर ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूर संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। इस सम्मेलन में कनाडा, नीदरलैण्ड, तुर्की, पोलैण्ड, इटली और ताइपे देशों के राजनयिकों द्वारा भी भाग लिया गया और प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं को खोजने हेतु बातचीत की। इस प्रकार सरकार द्वारा निवेशकों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर प्रदेश में निवेश की नई सम्भावनाओं को सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

कानून व्यवस्था सभ्य समाज के विकास की आधारशिला है। बिना मजबूत कानून व्यवस्था और समाज में शान्ति और न्याय के शासन के किसी भी क्षेत्र में विकास सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे राज्यों की तुलना में पुलिस बल व संसाधनों की कमी है। प्रदेश को मजबूत कानून व्यवस्था देना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिये पुलिस बल में वृद्धि, संचालन और आधुनिकीकरण हेतु 12,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अवस्थापना सुविधाओं में बिजली, सड़क और सिंचाई प्रमुख हैं। बिजली का संकट लगभग सभी प्रदेशों में है। प्रदेश में बिजली की व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से बिजली की परियोजनाओं के लिये 23,928 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

गांवों में घरों में शौचालयों निर्माण हेतु संचालित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान मद में लगभग 359 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गांवों में घरों में शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण जनता, विशेष रूप से बालिकाओं एवं महिलाओं को अत्यधिक सुविधा मिलेगी।

कुक्कुट विकास नीति, 2013 के अन्तर्गत ब्रायलर पैरेन्ट फार्मिंग की 10 इकाई तथा कामर्शियल लेयर फार्मिंग की 80 इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है जिससे लगभग 367 करोड़ अण्डे तथा 9 से 10 करोड़ किलोग्राम कुक्कुट मांस प्रतिवर्ष उत्पादित होगा।

मान्यवर,

हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की एक नई महत्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात इस बजट के माध्यम से किया है।

समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुये प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, के जीवन यापन, आर्थिक व सामाजिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से ''समाजवादी पेंशन योजना'', वित्तीय वर्ष 2014-2015 से प्रारम्भ की जा रही है।

इसके अन्तर्गत 40 लाख परिवारों के एक-एक लाभार्थी को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपये प्रति माह से प्रारम्भ कर लाभान्वित परिवार की पेंशन में प्रतिवर्ष 50 रुपये की वृद्धि करते हुये पेंशन की अधिकतम धनराशि 750 रुपये प्रतिमाह तक होगी।

परिवार की महिला मुखिया को एवं महिला मुखिया के न होने की दशा में परिवार के पुरुष मुखिया को लाभार्थी बनाया जायेगा।

इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट में 2,424 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

हमारा यह मानना है कि अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के बिना, सर्वांगीण और स्थायी विकास सम्भव नहीं है। यहाँ मैं कुछ चुनिन्दा योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगा।

दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना से प्रदेश के 12 जनपदों का 36 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आच्छादित होगा। इस कॉरीडार के दोनों तरफ 250 किलोमीटर के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं परिक्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना कोलकता से शुरू होकर वाराणसी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर पूरे प्रदेश से निकलते हुये अमृतसर तक जायेगी। प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्रयास कर इसके समानान्तर औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का निर्णय कराया है जिससे पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा।

गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,838 करोड़ रुपये की लागत से 11.11 किलोमीटर लम्बी मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ में चक गंजरिया फार्म उपलब्ध कुल 846 एकड़ भूमि में से 320 एकड़ भूमि पर अवस्थापना सुविधाओं यथा-100 एकड़ भूमि पर आई0टी0 सिटी, 50 एकड़ भूमि पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 100 एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान, मेडीसिटी तथा अन्य चिकित्सा सुविधाएं तथा 20 एकड़ भूमि पर पी0पी0पी0 मोड पर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियोलॉजी सेन्टर, 20 एकड़ भूमि पर आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट व 25 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मान्यवर,

हमारी सरकार द्वारा विकास की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं जिनसे विकास योजनाओं को समय से पूरा किया जा सके। निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों तथा किसानों को मिलेगा और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

प्रथम चरण में नौजवानों के भविष्य को संवारने तथा उज्जवल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लैपटाप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन आदि कुछ कार्यक्रम शुरू किये थे, जिसका अधिकाधिक लाभ नौजवान युवक-युवतियों को मिला है। अब दूसरे चरण में हमारी सरकार की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्धन बस्तियों में जीवन की आधारभूत तथा मूलभूत सुविधायें मुहैया करायी जाय। इन कार्यक्रमों व अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने तथा पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये इस बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2013-2014 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5.2 प्रतिशत रही जो देश की विकास दर 4.9 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2012-2013 में प्रदेश की प्रति-व्यक्ति आय 33,137 रुपये थी, जो वर्ष 2013-2014 में बढ़कर 37,579 रुपये हो गयी है।

प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार वर्ष 2011-2012 में 47,000 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2012-2013 में 23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 57,800 करोड़ रुपये हो गया। इतना ही नहीं, वर्ष 2013-2014 में प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार पुनः 20 प्रतिशत बढ़कर 69,200 करोड़ रुपये हो गया जो देश में किसी भी राज्य के लिये सबसे अधिक था।

अभी केन्द्रीय योजना आयोग के स्तर पर राज्य की 2014-2015 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। फिर भी वार्षिक योजना की नई वित्त पोषण की व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 95,039 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें लगभग 75 प्रतिशत राशि कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं के लिये हैं।

मान्यवर,

अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

- वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख चौहत्तर हजार सात सौ चार करोड़ उनसठ लाख रुपये (2,74,704.59 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2013-2014 के बजट के सापेक्ष 24 प्रतिशत अधिक है।

- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2013-2014 की अपेक्षा लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।

- वर्ष 2014-2015 के बजट में बीस हजार नौ सौ सत्तावन करोड़ सैंतालिस लाख रुपये (20,957.47 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

- अवस्थापना सुविधाओं, यथा-सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव की योजनाओं के लिये उनचास हजार एक सौ आठ करोड़ रुपये (49,108 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2013-2014 से लगभग 82 प्रतिशत अधिक है।

- त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिये 1,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये सात हजार छः सौ पच्चीस करोड़ रुपये (7,625 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2013-2014 से 15 प्रतिशत अधिक है।

- शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये इकतालिस हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ रुपये (41,538 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2013-2014 से 15 प्रतिशत अधिक है।

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु चौदह हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (14,377 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2013-2014 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत अधिक है।

- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिये पच्चीस हजार पांच सौ बाईस करोड़ रुपये (25,522 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है, जो वर्ष 2013-2014 की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय परिदृश्य

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य लगातार राजस्व बचत की स्थिति में है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 2.97 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। इसी प्रकार राज्य की ऋणग्रस्तता भी वर्ष 2014-2015 में निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 41.9 प्रतिशत) से

काफी कम (27.8 प्रतिशत) अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की निर्धारित सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि राज्य लगातार राजकोषीय स्थायित्व बनाये रखने में सफल रहा है।

मान्यवर,

विभागवार बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पूर्व मैं, बजट में सम्मिलित कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा।

किसानों के लिये

- सहकारी चीनी मिल संघ की सदस्य मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में गन्ने की औसत उपज एवं चीनी परता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से चार वर्षों में सम्पूर्ण बीज बदलाव का कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें लगभग 350 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।
- सहकारी गन्ना समितियों को सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति 252 हेतु करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स योजना हेतु 95 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भूमि सेना योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विगत कई वर्षों के बाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। वर्ष 2012-2013 में कुल 85 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 104 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2013-2014 में 83 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 101 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।
- रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- वर्ष 2014-2015 में 90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 36 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अन्तर्गत 53 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण किये जाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के लिये 2593 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के 3000 किलोमीटर मार्गों के उच्चीकरण का लक्ष्य है।
- लखनऊ से आगरा तक 6 लेन के लगभग 300 कि0मी0 लम्बे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने की योजना पर कार्यवाही गतिमान है। योजना हेतु 3280 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की अनजुड़ी बसावटों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इन्दिरा आवास योजना हेतु 1,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स हेतु 487 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजना में सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण पेयजल हेतु 1598 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 291 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 758 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई कार्यों, मार्गों/सेतुओं का निर्माण, जलापूर्ति एवं अन्य विभिन्न कार्य आवश्यकतानुसार कराये जाते हैं।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों यथा-झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा तथा चित्रकूट में सूखा राहत के लिये मल्टी सेक्टोरल एप्रोच के आधार पर कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- क्षेत्र में सूखे की समस्या के निदान हेतु जल प्रबन्धन तथा विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना संचालित है। योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था आदि को प्राथमिकता दी जायेगी।

शहरी क्षेत्रों का विकास

- राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों के लिये 6,648 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों के विकास के लिये 909 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नागर स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्रान्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता के कार्यों हेतु उनकी मांग पर ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने की नया सवेरा नगर विकास योजना हेतु वर्ष 2014-2015 में 900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपये, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 75 करोड़ रुपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 150 करोड़ रुपये, नगरीय सड़क सुधार योजना के लिये 100 करोड़ रुपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ नगर के लिये मेट्रो रेल के संचालन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जा चुका है। परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। मेट्रो रेल परियोजना को गति प्रदान करने हेतु 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कमजोर वर्गों के लिये

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1,613 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु 419 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु रुपये 607 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेत्रहीन, मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु 316 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के लिये 105 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी गरीबों के लिये

- मेहनतकशों, जिनकी आय रुपये 200 प्रतिदिन की दैनिक आय सीमा तक है, को आसरा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित है।

  इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 में 22 जनपदों में स्वीकृत 8,076 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट में योजना में रुपये 335 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लगभग 8,500 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।
- नगरीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं अन्य मलिन बस्तियों में, जहां सड़कों और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण, जल निकासी इत्यादि मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के रिक्शा चालकों को निःशुल्क मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा दिये जाने की योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे लगभग 60 हजार रिक्शा चालक लाभान्वित होंगे।
- शहरों को स्लम मुक्त करने की राजीव आवास योजना जो प्रदेश के 21 शहरों में संचालित है, हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अधिवक्ताओं के लिये

- अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 40 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव है।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस द्वारा कठोर प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।

महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिये हेल्पलाइन 1090 की शुरूआत की गई है, जिस पर तत्काल मदद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। महिलाओं के विरुद्ध घटित हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 लागू किया गया है, जिसमें विशेष रूप से प्रत्येक थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मी हमेशा उपलब्ध रहने की व्यवस्था की गयी है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के अधीन विशेष प्रकोष्ठ व प्रत्येक जिलों में इसी प्रकार एक प्रकोष्ठ की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

बच्चों के अधिकार, देख-रेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है।

प्रदेश के सभी जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं आदि की सूचना देने हेतु स्थापित टोल फ्री ट्रैफिक हेल्पलाइन के टेलीफोन नम्बर 1073 को क्रियाशील कर दिया गया है तथा उसे मोबाइल सेवा से जोड़ने की कार्यवाही गतिमान है।

सभी जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है। वर्तमान में साइबर क्राइम के सम्बन्ध में 138 पुलिस उपाधीक्षकों/उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण जिसमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण तथा उपकरणों एवं वाहनों का क्रय सम्मिलित है, के लिये 745 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु वर्ष 2014-2015 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 594 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

वर्ष 2014-2015 में 61 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 10 लाख कुन्तल एवं रबी के अन्तर्गत 51 लाख कुन्तल है तथा बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 39 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है।

नेशनल फूड सेक्योरिटी मिशन योजना के लिये लगभग 178 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार परियोजना तृतीय हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

कृषि विपणन यार्ड के निर्माण एवं विकास के लिये 88 करोड़ रुपये तथा सहकारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के विकास हेतु 70 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ाया देने हेतु अनुदान के लिये 81 करोड़ रुपये, संकर बीजों के उपयोग को बढ़ाया देने के लिये 35 करोड़ रुपये तथा संकर मक्का बीज प्रोत्साहन योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की सब्सिडी की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भौतिक एवं तकनीकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन हेतु 227 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

इस पेराई सत्र में प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा 6,978 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर 647 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया है और गन्ना किसानों को 11,668 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। पेराई सत्र 2012-2013 के देय गन्ना मूल्य के भुगतान में सहकारी क्षेत्र की मिलों का शत-प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की मिलों का 99.8 प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है।

चीनी मिल क्षेत्रों में विपणन सुविधाओं के विकास हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराये जाने के निमित्त लगभग 37 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है तथा पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिये 17 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

चीनी उद्योग आसवनी एवं को-जेनरेशन प्रोत्साहन नीति, 2013 के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर और जौनपुर में नई चीनी मिलों की स्थापना की कार्यवाही चल रही है।

ग्राम्य विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-2015 में लगभग 41 लाख परिवारों को 2018 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के 22 जिलों के 22 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव रूप से तथा शेष 800 विकास खण्डों में नॉन इन्टेन्सिव रूप से संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-2015 में 500 या उससे अधिक आबादी वर्ग की सभी जुड़ सकने योग्य बसावटों और सोनभद्र, चन्दौली, मिर्जापुर में 250 से अधिक आबादी वर्ग की सभी बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायतों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु अनुदान के लिये 666 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्लॉक पंचायतों के लिये 333 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायतों को अनुदान हेतु 2,332 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिये 4,390 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिये 853 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की नई योजना प्रस्तावित है।

सहकारिता

अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाईसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु सहायतार्थ 610 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु समितियों को अनुदान के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 129 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश वर्ष 2013-2014 में 242 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2014-2015 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 300 लाख मी0 टन है।

लखनऊ में 05 लाख लीटर, कानपुर में 10 लाख लीटर, वाराणसी में 05 लाख लीटर तथा इटावा में 05 लाख लीटर दैनिक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के डेरी प्लाण्टों की स्थापना का लक्ष्य है।

''ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों हेतु अवस्थापना सुविधा'' योजनान्तर्गत बल्क मिल्क कूलर एवं आटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिटों की स्थापना की जा रही है।

मत्स्य

हमारी सरकार द्वारा मत्स्य पालन व्यवसाय को कृषि का दर्जा दिये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इससे मत्स्य पालन में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा जल संसाधनों के उपयोग, बीमा सुरक्षा, विपणन आदि में कृषि की भांति प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

सक्रिय मत्स्य पालकों के आवास विहीन 1,600 परिवारों के लिये निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत प्रति आवास हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को 75,000 रुपये प्रति आवास से बढ़ाकर लोहिया आवास की भांति 1 लाख 60 हजार रुपये कर दिया गया है।

सिंचाई

सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं के लिये 7,587 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु, मध्यम तथा मुख्य सिंचाई की कई नई योजनायें प्रस्तावित हैं जिनके लिये 1,323 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की नयी योजनाओं के लिये 389 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

डॉ0 राममनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना, डॉ0 राममनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया नलकूप पुनर्निर्माण योजना हेतु 356 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वाराणसी के तीन घाटों मालवीय घाट, राज नारायण घाट एवं लोहिया घाट के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु सिंचाई

वर्तमान में प्रदेश का लगभग 77.98 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है।

वर्ष 2014-2015 में लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के लिये 338 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लगभग 1.98 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

सामुदायिक ब्लास्ट वेल के निर्माण हेतु 89 करोड़ रुपये, चेक डैमों के निर्माण के लिये 80 करोड़ रुपये तथा मध्यम गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु 69 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा

वर्तमान सरकार ने वर्ष 2012 में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रदेश की जनता को आवश्यकता के अनुसार विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किया है। प्रदेश में अभी भी विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में लगभग 2,000 मेगावॉट का अन्तर है। इस अन्तर को समाप्त करने तथा भविष्य में विद्युत की मांग में होने वाली वृद्धि के लिये आवश्यक विद्युत व्यवस्था हेतु अनेकों कदम उठाये गये हैं।

वर्ष 2016-2017 से ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये आवश्यक पारेषण एवं वितरण लाइनों का निर्माण किया जायेगा। इन कार्यों पर लगभग 22,000 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जा रही अनपरा 'डी' तापीय परियोजना जिसकी क्षमता 1,000 मेगावाट है वर्ष 2014 में पूर्ण हो जायेगी तथा इससे विद्युत प्राप्त होने लगेगी।

बारा, इलाहाबाद में स्थापित की जा रही 1,980 मेगावाट क्षमता की तापीय परियोजना भी लगभग पूर्ण है। इस परियोजना की प्रथम इकाई से नवम्बर, 2014 तक तथा शेष 2 इकाइयों से जून, 2015 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

ललितपुर में स्थापित की जा रही 1,980 मेगावाट क्षमता की परियोजना का कार्य भी दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण हो जायेगा। परियोजना की प्रथम इकाई से दिसम्बर, 2014 तक तथा दूसरी इकाई से जून, 2015 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जा रही 1,320 मेगावाट क्षमता की मेजा तापीय परियोजना से वर्ष 2016 में 916 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिलने लगेगी।

प्रदेश में गैर विद्युतीकृत लगभग 1,34,000 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसके लिये 7,282 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं। यह कार्य अगले 2 वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये किसानों को एक वर्ष से अधिक इन्तजार करना पड़ता है। योजना बनाई जा रही है कि पूर्व से लम्बित सभी नलकूपों का ऊर्जीकरण तत्काल कर दिया जाय एवं भविष्य में भी किसानों द्वारा आवेदन करने पर नलकूपों का ऊर्जीकरण बिना किसी विलम्ब के हो सके।

अतिरिक्त ऊर्जा

हमारी सरकार ने चीनी उद्योग आसवनी एवं को-जेनरेशन प्रोत्साहन नीति, 2013 प्रख्यापित की जिसमें बगास से संचालित को-जेनरेशन इकाइयों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे को-जेनरेशन संयंत्रों की वर्तमान स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 1,500 मेगावॉट किये जाने की योजना है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के अन्तर के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2013 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अनुसार मार्च, 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य है।

व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लाण्ट की स्थापना हेतु रूफटॉप सोलर पॉवर प्लाण्ट नीति 2014-2015 बनायी जा रही है।

सड़क एवं यातायात

प्रदेश में सड़कों, पुलों और सम्पर्क मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 15,100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़कों के अनुरक्षण कार्यों के लिये 2,492 करोड़ रुपये के व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिला मुख्यालयों को 04 लेन से मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत 14 जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़ने हेतु मार्गों का निर्माण किया जाना है। अब तक 09 जनपदों हेतु कार्यों की स्वीकृति निर्गत करा दी गई है तथा मार्ग निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2014-2015 में जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने हेतु 655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

वर्तमान में लगभग 2,100 किलोमीटर राज्य मार्ग सिंगल लेन के हैं, जिसमें से लगभग 1,550 किलोमीटर राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है। वर्ष 2014-2015 में 100 किलोमीटर राज्य मार्गों को दो लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 667 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रदेश में 500 से अधिक आबादी की समस्त अवशेष अनजुड़ी बसावटें, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं हैं, को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की योजना है।

ग्रामीण अंचलों में पुलों के निर्माण हेतु 1,084 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 465 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों में सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं शहरी नियोजन-

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सन्तुलित, सुनियोजित एवं सुस्थिर विकास तथा समाज के समस्त वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार विकसित भूमि, आवास, रोजगार के अवसर एवं स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014' निर्गत की गयी है।

प्रदेश की तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये 'सबके लिए आवास योजना' के अन्तर्गत 52,000 आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

लखनऊ विकास क्षेत्र एवं प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रों एवं नगर क्षत्रों में अवस्थापना विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत गठित होने वाले डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड की स्थापना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 (U.I.G.) एवं यू0आई0 डी0एस0एस0एम0टी0 (U.I.D.S.S.M.T.) कार्यांशों हेतु क्रमशः 800 करोड़ रुपये तथा 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों की बजट व्यवस्था हेतु 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'झील संरक्षण योजना' हेतु 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

प्रदेश में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास को गति प्रदान करने, वर्तमान योजनाओं का लाभ जन-जन तक सुलभ कराने और उद्यम स्थापना एवं क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 लागू की गयी है।

उ0 प्र0 के सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष का गठन किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप, वर्ष 2013-2014 में 45,164 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई है, जिसमें लगभग 3,042 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ तथा लगभग 4,81,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन की नयी योजनाओं के लिये लगभग 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

हथकरघा वस्त्रोद्योग

वाराणसी और आगरा में बुनकर बाजारों की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये की नयी योजना प्रस्तावित है।

सरकार द्वारा बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये आई0सी0आई0सी0आई0 (I.C.I.C.I.) लोम्बार्ड बीमा कम्पनी के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

प्रत्येक न्याय पंचायत में एक खादी ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-2015 में 375 करोड़ रुपये संस्थागत पूँजीनिवेश से 7,500 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 425 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे 10,200 लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

सूचना प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स

प्रदेश में आई0टी0 (I.T.) आई0टी0ई0एस0 (I.T.E.S.) उद्योगों की स्थापना एवं विकास के दृष्टिगत सरकार द्वारा आई0टी0 नीति 2012 घोषित की गयी है। आई0टी0 नीति 2012 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप सर्वप्रथम लखनऊ में आई0टी0 सिटी की स्थापना की जा रही है। इसी के अनुरूप आगरा में भी आई0टी0 सिटी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

आई0टी0 सिटी के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आई0टी0 पार्क्स स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

समाज कल्याण

छात्रवृत्ति वितरण में परदर्शिता एवं समयशीलता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये 2,073 करोड़ रुपये तथा सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये 722 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिये 135 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास की योजनाओं के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट में 1,096 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अरबी-फारसी मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अरबी पाठशालाओं के लिये 316 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी के निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विकलांग कल्याण

प्रदेश के विभिन्न जनोपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों में विकलांग जन के सुगम आवागमन/आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना हेतु रुपये 25 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

तीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की दर से 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल कल्याण

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना ''सबला'' के लिये 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुपूरक पोषाहार योजना के लिये 3,344 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत मेडिसिन किट्स, वेतन, मानदेय आदि पर व्यय हेतु 1,618 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा हेतु 2014-2015 के बजट में 29,380 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसमें सर्व शिक्षा अभियान हेतु 7,715 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 1,685 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना का संतृप्तीकरण लगभग पूर्ण हो गया है। ऐसी असेवित बस्तियाँ जो किन्हीं कारणों से छूट गयी हैं, उनमें नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था के लिये लगभग 6,475 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में कक्षा 1-8 तक के लगभग समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफार्म उपलब्ध करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा यूनीफार्म के दो सेट दिया जाना प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं के लिये 7,880 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा सुदूर क्षेत्रों में भी शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में हाईस्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिसकी पूर्ति के लिये लगभग 3,375 नये माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावास निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

प्रदेश में तीन नये सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिये 6 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ई-बुक्स का क्रय/ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा हेतु 2,269 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अराजकीय महाविद्यालयों को अनुदान दिये जाने हेतु 1,534 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिये 142 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर तथा इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 20 करोड़ रुपये एवं 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ई-बुक्स का क्रय/ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में वर्तमान में 110 सरकारी पॉलीटेक्निक और 306 निजी पॉलीटेक्निक संचालित हैं। सत्र 2014-2015 से 08 और नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013-2014 में डिग्री स्तर के 02 तकनीकी विश्वविद्यालय को संविलीन कर उसे पूर्ववत उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया है एवं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को विश्वविद्यालय बनाया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

वर्तमान में प्रदेश में 217 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 69,014 है।

16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विश्व बैंक फण्डिंग के अन्तर्गत तथा 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना के अन्तर्गत उच्चीकृत किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रमुख रूप से प्रदेश की असेवित तहसीलों/विकास खण्डों में 20 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा हेतु 2,513 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ जनपद में उच्चस्तरीय सुपर स्पेशिलिटी कैंसर संस्थान के लिये 68 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के संचालन हेतु 184 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को विकसित किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की रोगी सेवाओं का विस्तारण करते हुये गत वर्ष इमरजेंसी मेडिसिन विभाग तथा आप्थलमिक सेण्टर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान के संचालन एवं निर्माण कार्यों हेतु 368 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु 68 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मेडिकल कॉलेज, झाँसी के सुदृढ़ीकरण, अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने, आवश्यक उपकरणों की स्थापना एवं उच्चस्तरीय चिकित्सालय की स्थापना हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ के संचालन हेतु 42 करोड़ रुपये एवं मेडिकल कॉलेज, बाँदा में इसी वर्ष बाह्य रोग तथा अन्तः रोगी विभागों को संचालित किए जाने हेतु 71 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना प्रस्तावित है।

जनपद चन्दौली में एक और मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जनपद जौनपुर तथा बदायूँ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं के लिये 12,192 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिये 3,867 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गयी है जिसके अन्तर्गत हर 30,000 की

आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मानक है। इसके अन्तर्गत 729 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 1681 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण/स्थापना का लक्ष्य है जिसे आगामी 03 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

मातृ मृत्यु दर वर्ष 2010-2011 में 345 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर वर्तमान में 300 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये मुख्य रूप से जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक पहुँचाने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा 102 एम्बुलेन्स सेवा 2013-2014 से प्रारम्भ की गई है।

रोगियों को सुचारू एवं निरन्तर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश के 112 राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना करायी जा चुकी है।

प्रदेश में 108 ई0एम0टी0एस0 (E.M.T.S.) समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के संचालन हेतु 77 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय एड्स एवं एस0टी0डी0 नियंत्रण कार्यक्रम हेतु लगभग 89 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

जिला संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु मशीनें एवं उपकरण और संयंत्रों के क्रय के लिये 144 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों तथा उपकरणों के क्रय हेतु 159 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेजों तथा चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट में जिला कारागार, रामपुर के लिये 20 करोड़ रुपये तथा जिला कारागार इटावा के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये तथा जिला कारागार, मुरादाबाद के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला कारागारों के उच्चीकरण, नवीनीकरण और चालू कार्यों के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन

उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के वनों, वन्य जीवों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है। इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील व तत्पर है।

प्रदेश में वर्ष 2013-2014 में लगभग 6 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वर्ष 2013-2014 में हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) का विकास किया गया है। इस ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण में कुल 607 स्थलों पर 2951 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 लाख पौधों का रोपण किया गया।

मैनपुरी में समान पक्षी विहार परियोजना हेतु भूमि की व्यवस्था के लिये 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज व बदायूँ को पूर्ण रूप से हराभरा किये जाने हेतु ''टोटल फॉरेस्ट कवर योजना'' के लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण की दृष्टि से अपघटित क्षेत्रों का इकोलॉजिकल (Ecological) विकास, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्धन इत्यादि की समस्याओं से संबंधित व्यवहारिक क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इण्डस्ट्री स्पेसिफिक डाक्यूमेण्ट (Industry Specific Document) तैयार कराया जायेगा।

नदियों एवं झीलों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदूषणकारी स्रोतों की पहचान हेतु रिमोट सेन्सिंग आधारित अध्ययन प्रस्तावित हैं।

खेल एवं युवा कल्याण

प्रदेश में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 128 करोड़ रुपये की तथा स्पोर्ट्स कालेजों को अनुदान, स्टेडियम के अनुरक्षण, प्रशिक्षण एवं खिलाड़ियों को पुरस्कार योजनाओं हेतु 38 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में एक खेल एवं शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना हेतु 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

संस्कृति

प्रदेश में कला एवं संस्कृति के प्रदर्शन हेतु खुले मंच, चित्रकूट में प्रेक्षागृह, आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र, इलाहाबाद में जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय की स्थापना, मथुरा-वृन्दावन के मध्य ऑडिटोरियम का निर्माण, भारत रत्न बिस्मिल्ला खाँ की स्मृति में संग्रहालय एवं मकबरा स्थल के विकास की योजनायें प्रस्तावित हैं।

पर्यटन

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कई नयी योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं जिनके लिये 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इनमें उत्तर प्रदेश ट्रवेल मार्ट, 2014 प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों का पर्यटन हेतु विकास तथा अन्य कई पर्यटन स्थलों का विकास सम्मिलित हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के अन्दर निजी वायुसेवा में तीन सीटों को अन्डरराइट करने हेतु बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

न्याय

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के गोमतीनगर में निर्माणाधीन नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2015 के अन्त तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में इस कार्य के लिये 370 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 में रुपये 30 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों की सुनवाई हेतु प्रदेश में 22 नये न्यायालयों की स्थापना की गयी है।

लम्बित वादों के निस्तारण हेतु 31-03-2015 तक के लिए इवनिंग कोर्ट्स चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 68 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजकोषीय सेवायें

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। वाणिज्य कर विभाग का वर्ष 2014-2015 का राजस्व संग्रह लक्ष्य शासन द्वारा रुपये 47,500 करोड़ निर्धारित किया गया है जो 2013-2014 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी शुल्क

वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु 14,500 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का लक्ष्य प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु प्राप्तियों का लक्ष्य 12,723 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

वाहन कर

वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु प्राप्तियों का लक्ष्य 3950 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2014-2015 में दो लाख सत्तर हजार पाँच सौ तिहत्तर करोड़ रुपये (2,70,573 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में दो लाख छब्बीस हजार चार सौ उन्नीस करोड़ रुपये (2,26,419 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा चौवालिस हजार एक सौ चौवन करोड़ रुपये (44,154 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2014-2015 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख सत्तावन हजार पाँच सौ दो करोड़ रुपये (1,57,502 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश छिहत्तर हजार पाँच सौ दो करोड़ रुपये (76,502 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- वर्ष 2014-2015 में कुल व्यय दो लाख चौहत्तर हजार सात सौ पाँच करोड़ रुपये (2,74,705 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में एक लाख सत्तान्नवे हजार चार सौ पच्चीस करोड़ रुपये (1,97,425 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा सतहत्तर हजार दो सौ अस्सी करोड़ रुपये (77,280 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है, जिसमें पूँजीगत परिव्यय पचपन हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये (55,986 करोड़ रुपये) है।
- वर्ष 2014-2015 के बजट में पचानवें हजार उन्तालिस करोड़ रुपये (95,039 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

राजस्व बचत

वर्ष 2014-2015 में अट्ठाईस हजार नौ सौ चौरानवें करोड़ रुपये (28,994 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अट्ठाईस हजार चार सौ ग्यारह करोड़ रुपये (28,411 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2014-2015 में घाटा चार हजार एक सौ बत्तीस करोड़ रुपये (4,132 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2014-2015 में लोक लेखे से चार हजार पाँच सौ सत्तर करोड़ रुपये (4,570 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2014-2015 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम चार सौ अड़तिस करोड़ रुपये (438 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2014-2015 में प्रारम्भिक शेष चार हजार पाँच सौ नब्बे करोड़ रुपये (4,590 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष पाँच हजार अट्ठाईस करोड़ रुपये (5,028 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर,

मैं मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ।

इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसान, युवा वर्ग, बेरोजगार, बालिकायें एवं महिलायें, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोग भी जीवन और भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकें और एक नई ऊर्जा के साथ स्वयं तथा समाज की उन्नति के लिये कृत संकल्प होकर विकास के एक नये युग का सृजन कर सकें। मैं प्रदेश के हर वर्ग/समुदाय का आह्वान करता हूं कि आइये हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करें।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(1.25 बजे)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-06-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री दलजीत सिंह की प्रदेश में कार्यरत प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) जवानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना

श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किये जाने के संबध में है। तीसरी सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जनपद सोनभद्र में सोन लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत बंद पड़े 8 पम्पों को ठीक कराये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा की लायर्स कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। पाँचवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर की सरकारी जमीन गाटा संख्या-637 रकबा 2530 वर्ग मी0 पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद की कतिपय विधानसभाओं में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र करवल नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री मनबोध प्रसाद की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में छोटी गंडक नवलपुर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री देवनारायण सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह की जनपद महाराजगंज के लगभग 50 लोगों के इराक में फंसे होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत सोनाली नदी पर बन्धा बनाये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री काली चरण सुमन की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड खेरिया मोड़ से नरीपुरा धनौली से मलपुरा तक पक्का नाला बनाये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जिला पंचायत फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध मे है। पन्द्रहवी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर में कतिपय घाटों के किनारे रहने वाले विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित कराये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई। श्री सुरेश बंसल, श्री सुशील सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री संजय कपूर, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री मनीष असीजा, श्री राम चन्द्र यादव, श्री विजय कुमार दुबे, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री विजय कुमार पासवान, श्री अनीसुरर्रहमान, डा0 आर0के0 वर्मा, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री राजबली जैसल, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री बृजेश कुमार, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री रामवीर उपाध्याय, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।)

प्रदेश में कार्यरत प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) जवानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मान्यवर, प्रदेश में कार्यरत प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी) के जवानों का ड्यूटी भत्ता पारिश्रमिक रु0 160/- को वर्तमान महँगाई तथा न्यूनतम मजदूरी, 1948 के तहत बढ़ाया जाना

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अति-आवश्यक हैं इनकी माँग यह भी है कि पूर्व की भांति जिला योजना मद लागू कर शांति, सुरक्षा मद सहित मानदेय आदि में पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाय। जिला योजना मद से ब्लाक कमाण्डर, हल्का सरदार तथा दलपति को मानदेय सहित 22 दिवसीय प्रारम्भिक तथा 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण के साथ-साथ समाज सेवा, शांति, सुरक्षा इत्यादि मद से पर्याप्त धन उपलब्ध कराते हुए ड्यूटी करायी जाती थी, किन्तु इन्हें जिला योजना से अलग कर देने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए इन्होंने मांग की है कि 1-उक्त जिला योजना मद में इन्हें सम्मिलित करते हुए पी0आर0डी0 जवानों की वर्तमान संख्या अनुसार पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाय अथवा 1996-97 के पूर्व अनुपात में विभाग में पी0आर0डी0 जवानों हेतु धन उपलब्ध कराया जाय, 2-प्रदेश के होमगार्डों की भांति इन्हें भी समान कार्य समान वेतन दिया जाये, तथा 3-विभागीय कारतूसों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु धन दिया जाय। प्रकरण अविलम्बनीय, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ कि महोदय विधान सभा क्षेत्र गंगोह जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत निम्न ग्रामों में पानी निकासी सुचारू रूप से नहीं है। इन ग्रामों में निकासी हेतु नालों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक हैं। कल्लरपुर राजपूत में तालाब से राजेन्द्र के मकान तक 240 मी0, अम्बहेटी में रजनीश के मकान से मन्दिर तक 800 मीटर नाला, दरियापुर ब्लाक नकुड में अजय के मकान से तालाब तक 300 मीटर, डूभर किसनपुर में प्रेम के मकान से पक्की सड़क शमशान की ओर 400 मीटर, ढलावली में खुमरो की बस्ती से तालाब तक 500 मीटर। कोटडा में बन्दे नाई के घर से खाले तक 350 मीटर। कोटडा में सिन्ना पुत्र सफी के घर से तालाब तक 100 मीटर। घाटमपुर में मस्जिद से नाले तक 250 मीटर। बड़गांव में तीरथ के मकान से तालाब तक 150 मीटर। मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उक्त ग्रामों में नालों का निर्माण कब तक हो जायेगा ताकि उक्त ग्रामों के ग्रामवासियों को पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र में सोन लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत बन्द पड़े 8 पम्पों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रूबी प्रसाद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सोनभद्र में सोन लिफ्ट परियोजना जिसमें लगभग 12 पम्प लगे हैं जो वर्षों से करीब 8 पम्प खराब चल रहे हैं इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे काफी फसलें

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बर्बाद हो जाती हैं, तत्काल खराब पम्पों को ठीक कराये जाने की आवश्यकता है इस सम्बंध में मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बार-बार अवगत कराया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है। यही नहीं स्थानीय अभियंता घोर लापरवाही करते हैं। पम्प मरम्मत व ठीक कराने के नाम पर शासकीय धनराशि की लूट भी काफी वर्षों से पहले से हो रही है इसकी भी जांच वर्षवार कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल बन्द/खराब पड़े पम्पों को जनहित में ठीक कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद आगरा की लायर्स कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं आपका ध्यान आगरा की लायर्स कालोनी की आन्तरिक जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

आगरा में लायर्स कालोनी की सड़कें विगत 8 वर्षों से जर्जर व गड्ढा युक्त हैं। क्षेत्र की जनता का पैदल, स्कूटर व कार पर निकलना दूभर हो गया है। क्षेत्र की जनता हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स समय से देती है। उसके बावजूद भी सड़के न बनने के कारण उनमें बहुत रोष व्याप्त है। जनहित में यहां की सड़कों का बनना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर की सरकारी जमीन गाटा संख्या-637 रकबा 2530 वर्ग मी0 पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खान-

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत नगर पंचायत खानपुर की सीमा में श्मशान घाट की सरकारी जमीन गाटा संख्या 637 रकबा 2530 वर्ग मी0 जो तहसील अभिलेखों में श्मशान घाट दर्ज है। इस सरकारी श्मशान घाट जमीन का उपयोग हिन्दू समाज के लोगों द्वारा अन्तिम संस्कार के लिये किया जाता है। किन्तु इस सरकारी जमीन पर स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे उक्त श्मशान घाट पर अन्तिम संस्कार करने के समय लोगों को कठिनाई होती है। अवैध कब्जे के कारण जनता में रोष व्याप्त हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जांच कराकर अवैध कब्जा हटाने की तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद की कतिपय विधान सभाओं में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में मेजा विधान सभा क्षेत्र जनपद इलाहाबाद मिर्जापुर के मध्य स्थापित है। इस विधान सभा से मिली विधान सभा करछना, कोंराव, छानबे (मिर्जापुर) स्थापित है। परन्तु उपरोक्त विधान सभाओं के विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करने हेतु 220 K.V.A. का कोई भी विद्युत सब-स्टेशन स्थापित नहीं है। जिसकी वजह से 132 K.V.A. के सब-स्टेशनों को भरपूर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती।

क्या माननीय विद्युत मंत्री जी मेजा विधान सभा में 220 K.V.A. का सब-स्टेशन स्थापित करेंगे। करेंगे तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र करवल नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में विकास खण्ड चण्डौस के अन्तर्गत करवल नदी पर पुल के अभाव के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी दूर से नदी को पार करना पड़ता है। कई गांव के लोगों को नदी के आर-पार आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। गम्भीर मरीजों के उपचार में पुल के नव निर्माण न होने से देरी होने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। करवल नदी पर अजनियां गंगई के बीच तथा बलरामपुर मजीपुर के बीच में पुल का नव निर्माण होने से क्षेत्रीय जनता को परेशानियों से मुक्ति मिल जायेगी। यह प्रकरण जनहित का है।

अतः मैं चाहूँगा कि करवल नदी पर अजनियां गंगई के बीच तथा बलरामपुर मजीपुर के बीच में पुल का नव निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में छोटी गंडक नवलपुर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध प्रसाद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नवलपुर घाट पर लगभग 125 मीटर लम्बाई का पक्का पुल का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। क्योंकि उक्त पुल बनने से दो नगर पंचायतों के जुड़ने का कार्य जनहित में होगा। उक्त पुल का निर्माण हो जाने से यू0पी0 और बिहार दोनों में आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार भी बढ़ेगा उसी घाट पर बाबा भोला शाह का प्राचीन मजार व पौराणिक शिव का मंदिर है। जहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालु आते-जाते हैं। यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण व जनहित का पुल होगा। तत्काल इसे बनाये जाने की आवश्यकता है।

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल पुल बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद महराजगंज के लगभग 50 लोगों के इराक में फंसे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि आज पूरे देश से लोग इराक के इस संकट में फंस गये हैं। इसी तरह उ0प्र0 के भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। हमारे जनपद महराजगंज में मेरे सूचना के हिसाब से लगभग 50 लोगों के फंसने की सूचना है। बहुत से लोगों से मेरी टेलीफोन के माध्यम से बात हुई है। बहुत ही निराश हैं। भारत सरकार द्वारा जो पहल किया जा रहा है। उससे काफी लोग दुखित हैं। उनको मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में उ0प्र0 सरकार से जो बन पाये उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं सदन को और मा0 मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि अगर 100 लोग रिकार्ड में गये हैं तो उससे लगभग 100 गुना से ज्यादा लोग बिना रिकार्ड के इराक में फंसे हुए हैं। इनके राहत के लिए हेल्पलाइन खोला जाय तथा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि जिले से सूचना एकत्र करके शासन को अवगत करायें ताकि उ0प्र0 सरकार भारत सरकार से वार्ता करके ठोस हल निकाल सके साथ ही साथ उ0प्र0 विधान सभा सदन से प्रस्ताव जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार बिना किसी विलम्ब के राहत दल भेजे और सैन्य कार्यवाही करने पर भी विचार करें। क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी तत्काल ठोस कदम उठाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत सोनाली नदी पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत धनौरी से सोनाली नदी निकलती है। पिछले 50 वर्षों से प्रति वर्ष उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के किसान उक्त सोनाली नदी से बाढ़ व तबाही से झेलते चले आ रहे। प्रति वर्ष खेतों में खड़ी फसल को बाढ़ का पानी बर्बाद करता चला आ रहा है। प्रति वर्ष किसानों के मवेशी भी बाढ़ में मरते रहे। उत्तराखण्ड सरकार अपने क्षेत्र में सोनाली नदी को बाढ़ से बचाने को बाँध निर्माण का काम शुरू किया गया है। जबकि उत्तराखण्ड क्षेत्र में सोनाली नदी पर बाँध बनने तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बाँध न होने से यदि उत्तराखण्ड क्षेत्र में बाँध बना तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बाँध न बनाया गया तो इससे पुरकाजी क्षेत्र व दो दर्जन से अधिक गाँव की कई हजार एकड़ भूमि व गाँवों की तबाही होने की आशंका से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी जांच तत्काल कराकर तत्काल सोनाली नदी में बाँध बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड खेरिया मोड़ से नरीपुरा धनौली से मलपुरा तक पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरण सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1-जगनेर रोड खेरिया मोड़ से नरीपुरा धनौली से जाने वाला नाला बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है तथा नाला बीच-बीच में अवरोध कर दिया गया है तथा नाले की सफाई नहीं की जाती है। जिसके कारण शहर से आने वाला नाले का पानी ग्राम पंचायत अजीजपुर, नगला उद्धाग्राम पंचायत धनौली में गलियों में बस्ती में पानी का भराँव हो जाता है। जिसके कारण क्षेत्र में बीमारी महामारी जनजीवन ठप है तथा शहर से आने वाला नाले का पानी शहर व ग्रामीण के लोगों में आपस में टकराव पैदा होता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अशान्ति व कानून व्यवस्था भंग हो रही है। इस पर नाला निर्माण पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड खेरिया मोड़ से नरीपुरा धनौली से मलपुरा तक पक्का नाला निर्माण कार्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र भान सिंह पटेल-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-चित्रकूट के मेरे विधान सभा क्षेत्र पाठा 237, मानिकपुर के अन्तर्गत क्षेत्र के किसानों को विद्युत विभाग द्वारा अनियमित विद्युत सप्लाई से ट्यूबबेल, फसलों की सिंचाई आदि की गंभीर समस्या है जो कि अनियमित एवं मनमानी तरीके से विद्युत की कटौती की जा रही है एवं कम वोल्टेज, जर्जर विद्युत लाइने आदि बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मरों के जलने का क्रम चल रहा है। जले ट्रांसफार्मर महीनों-महीनों नहीं बदले जाते हैं। वोल्टेज कम आने की सूचना विद्युत वितरण प्रबंधक निदेशक को एवं सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को शिकायत किया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, लो वोल्टेज की समस्या एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों एवं जर्जर तारों को अतिशीघ्र ठीक कराने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड-बड़राँव, दोहरीघाट, फतहपुर मण्ड़ाँव आदि के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाफे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिपाह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुग्गी चौरी स्थित हैं। सरकार का दावा है कि उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हमेशा दवा एवं डाक्टर उपलब्ध रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्षेत्रीय जनता अपने इलाज हेतु जाती है तो वहाँ से उन्हें बैरंग खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्रों पर न तो दवा उपलब्ध होती है और न ही डाक्टर मौजूद रहते हैं। यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुत्ते के काटने के दौरान लगने वाली (रैबीज) इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं रहता है। क्षेत्रीय मरीजों को अपने इलाज हेतु प्राइवेट डाक्टरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुग्गी चौरी में पूरा सरकारी स्टाफ तैनात है, परन्तु उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कभी भी स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हमेशा ताला बन्द रहता है। जिससे क्षेत्रीय मरीजों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गयी है, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जिला पंचायत फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय, विधान सभा इण्डला में निम्न मार्गों का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

1-नवाजपुर रोड (डावर) की सड़क से जाटव बस्ती होते हुए माता के मन्दिर तक नाली व इण्टर लॉकिंग कार्य ब्लाक इण्डला

2-बहोरनपुर ब्लाक नारखी में डावर रोड से बाईपास मार्ग पर नाली व इण्टर लॉकिंग कार्य

3-बसई ब्लाक इण्डला में बाईपास मार्ग पर नाली व इण्टर लॉकिंग कार्य (जाटव बस्ती)

4-चुल्हावली ब्लाक इण्डला में जाटव बस्ती सी0 मार्ग से डावर रोड बनकट मार्ग तक डावर रोड मार्ग का निर्माण

5-गण ब्लाक इण्डला में डावर रोड गोथुआणे अम्बेडकर मार्ग डावर की सड़क तक इण्टर लॉकिंग कार्य

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महोदय, उपरोक्त मार्ग जनहित में निर्माण कार्य कराये जाने की सरकार से माँग करता हूँ तथा सरकार का सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर में कतिपय घाटों के किनारे रहने वाले विस्थापित परिवारों के पुनर्वासित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत नारायणी नदी बूढ़ी गण्डक के कटान के कारण नदी के आसपास विकास खण्ड-सेवरही के अन्तर्गत गाँवों क्रमशः पिपराघाट एहतमाली, पिपराघाट मुस्तकील, परसा उर्फ सिरिसिया, जंगली पट्टी, अहिरौलीदान, बीरवट कोन्हवलिया, चैन पट्टी (जवहीदयाल), घघवा जगदीश, बाघाचौर, नोनियापट्टी तथा दुदही ब्लाक के अन्तर्गत गाँवों क्रमशः रामपुर बरहन (परोरही), अमवा खास (टोटहवां, कौवांखोर, बरवापट्टी), अमवा दीगर इत्यादि में वर्ष 1984, 2001, 2012 तथा 2013 में नदी के तीव्र कटान के कारण यह गाँव की लगभग काफी संख्या में उपरोक्त गाँवों के टोलों के घर पानी में विलीन हो गये हैं तथा आज तक इस गाँव की आबादी किसी तरह बंधे ए0पी0 तटबंध तथा अमवाँ तटबंध पर अपना जीवन-यापन गुजार रहे हैं। कई बार माँग, धरना प्रदर्शन तथा अनशन के बावजूद प्रशासन द्वारा इनके पुनर्वास हेतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस संदर्भ में दो-दो बार मैंने स्वतः मा0 मुख्य मंत्री जी को तथा जिलाधिकारी, कुशीनगर एवं मण्डालायुक्त, गोरखपुर मण्डल को दर्जनों बार मिलकर, अनुरोध-पत्र देकर तथा आंदोलन के माध्यम से भी अवगत कराया, परन्तु आज तक बंधे पर जीवन-यापन कर रहे गरीब तथा बेघर लोगों को उपयुक्त स्थल चिन्हितकर उस पर उन्हें पुनर्वासित नहीं कराया गया है। उक्त स्थल पर गुजर-बसर कर रहे लोगों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश है। ऐसी स्थिति में मेरी माँग है कि सरकार द्वारा शीघ्र उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त गाँवों के बेघर लोगों को शीघ्र उपर्युक्त स्थल चिन्हित करते हुए उनको पुनर्वासित कराये जाने की माँग करता हूँ। प्रकरण अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित का है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

[1.28 बजे] भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापा नहीं गया।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-611/ ग्यारह-9(1)/ 2008 उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(111)-2014, दिनांक 11 जून, 2014††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-611/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008- आदेश-(111)-2014, दिनांक 11 जून, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या-249/30-4-2014-8(19)/2013, दिनांक 28 फरवरी, 2014†

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-249/ 30-4-2014-8(19)/2013, दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-8 में कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।
†† छापी नहीं गयी।

[1.31 बजे] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति वर्ष (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री शिवेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवी विधान सभा की विशेषाधिकार समिति वर्ष (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन जो श्री रवीन्द्र जायसवाल, सदस्य, विधान सभा जनपद वाराणसी द्वारा श्री बी0के0 सिंह, उपाध्यक्ष एवं दिनेश राय, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति वर्ष (2013-2014) का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री शिवेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति वर्ष (2013-2014) का नवम् प्रतिवेदन†

श्री शिवेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का नवम् प्रतिवेदन, जो उद्यान विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011, तथा 2011-2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

[1.32 बजे] जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-नसीरपुर शेख मार्ग पर स्थित नसीरपुर शेख के आबादी वाले भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद एहसान व श्री इसरार अहमद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री इकबाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-नसीरपुर शेख मार्ग पर स्थित नसीरपुर शेख के आबादी वाले भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद एहसान व श्री इसरार अहमद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बिजनौर के चाँदपुर क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल सिसौना से बिजनौर-बदायूँ मार्ग पर स्थित अकबरपुर तिगरी तक टूटे एवं जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद जुल्फिकार आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री इकबाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल सिसौना से बिजनौर-बदायूँ मार्ग पर स्थित अकबरपुर तिगरी तक टूटे एवं जर्जर

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद जुल्फिकार व श्री मो0 अरशद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड हल्दौर के अन्तर्गत सोत खेड़ी, गांगू नगला व ग्राम उमरी पीर में विद्युत पोलों व विद्युत तारों की कमी को पूर्ण कराने एवं सुचारू रूप से चलाये जाने विषयक श्री मोहम्मद इरफान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री इकबाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड हल्दौर अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोत खेड़ी, ग्राम गांगू नगला व ग्राम उमरी पीर में विद्युत पोलों व विद्युत तारों की कमी को पूर्ण कराते हुए विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाये जाने विषयक श्री मोहम्मद इरफान व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत सिसौना रेलवे हाल्ट से गांगू नगला तक टूटे एवं जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मेराज आदि की हस्ताक्षरित याचिका††

श्री इकबाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत सिसौना रेलवे हाल्ट से ग्राम गांगू नगला तक टूटे एवं जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मेराज व श्री सुमेर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 13, 14 तथा 15 में कुछ नहीं है।

[1.33 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-06-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के अनेक ग्रामों में पानी की टंकी तथा अधोमानक पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उ0प्र0 के परिषदीय विद्यालयों मे टी0ई0टी0 पास शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री सुधाकर सिंह की नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत मोहल्ला-बख्शीपुर चौक स्थित सरकारी बंजर भूमि को फर्जी रूप से बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के नारखी व टूण्डला ब्लॉक के ग्रामों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पाँचवी सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद, साहिबाबाद के अन्तर्गत कालोनियों में सीवर साफ कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

---

†† छापी नहीं गयी।

छठी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर स्थित विलासपुर एवं शीशगढ़ मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा नगर पालिका परिषद् में लगे विद्युत खम्भों एवं जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री राज कुमार रावत की जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल योजना को ठीक कराकर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद-हाथरस के अन्तर्गत ग्राम-बस्तोई से जिला-अलीगढ़ के ग्राम बजरंगपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद-इलाहाबाद के जमुनापार के तहसील-करछना में किसानों की जमीन बरोनी-कानपुर के प्रयाग द्वारा जमीन अर्जन का समुचित मुआवजा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद-बरेली के रम्पुरा-अलीगंज-सिरौली मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित करायी गयी है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तत्व हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयी :-

श्री संजय प्रताप जायसवाल, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री पंकज गुप्ता, श्री संत राम कुशवाहा, श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री उमेश पाण्डेय, श्री काली चरन सुमन, श्री रामहेत भारती, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री पूरन प्रकाश (एडवोकेट), श्री भगवती प्रसाद, श्री मनबोध प्रसाद, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री ओम कुमार, श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री प्रदीप चौधरी, श्री सुरेश राणा, श्री राम चन्द्र यादव, श्री बृजेश कुमार, ठा0 दलवीर सिंह, श्री मदन चौहान, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री दलजीत सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री मनीष असीजा, श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव।

अब हम उठते हैं। सोमवार दिनांक 23-06-2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 35 मिनट पर सोमवार दिनांक 23 जून, 2014 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 20 जून, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 142 विधान सभा (249)-09-09-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।